

“सफलता केवल मंजिल पाने का नाम नहीं, बल्कि हर दिन स्वयं को कल से बेहतर बनाने का नाम है।”

## लज्जा.. लजाती क्यूं सड़कों पर?? - जब बेशर्मी नंगा नाचती है तो अस्मत् रोती है

रचनाकार: अनामिका गुप्ता

प्रस्तुतकर्ता पिंकी कुंडू सामाजिक परामर्शदाता  
परिवहन विशेष समाचार पत्र

प्रस्तुत है मूल कविता:  
> नारी सशक्तिकरण हो गया  
> हाँ..... ज़रूर  
> एक नारी एक कन्या का  
> घर से निकलना दुभर हो गया  
> आखिर.....??????  
> लज्जा.. लजाती क्यों सड़कों पर??  
> बेशर्मी.. बेहयायी.....  
> नंगा नाचती क्यूं सड़कों पर??  
> रो रोकर कहती है असमत  
> क्यूं फूटी???

>... नारी तेरी किसमत???

> अब हाल कहीं किसको हम सुनाएं??

> दिल के टुकड़े किसे दिखाएं??

> क्या कृष्णा कहीं पर खो गया??

> क्या लोकतंत्र कहीं सो गया??

> दर दर पे भटकती.....

> दर दर पे हँदती

> असमत नारी की आज है पूछती

>..... क्या.....

> नारी सशक्तिकरण हो गया??

- अनामिका गुप्ता

बिंदु 1: कविता का भावार्थ - सशक्तिकरण के पोस्टर के पीछे का अंधेरा अनामिका जी की यह कविता नारी सशक्तिकरण के सरकारी आंकड़ों और जमीनी हकीकत के बीच के पाखंड पर करारा तमाचा है।



कवयित्री कहती हैं - कागजों पर तो नारी सशक्त हो गई, मंचों पर नारे लग गए, लेकिन एक कन्या का घर से निकलना आज भी दुभर है। सड़क पर लज्जा शर्मिदा खड़ी है और बेशर्मी, बेहयायी बेखोफ नंगा नाच रही है।

'रो-रोकर कहती है असमत, क्यों फूटी नारी तेरी किस्मत' - यह पंक्ति उस असाहय माँ, बहन, बेटी की चीख है जो थाने, कोर्ट, समाज के दर-दर पर अपनी अस्मत् की गुहार लगाती है और अंत में पूछती है - क्या सच में सशक्तिकरण हो गया?

'क्या कृष्णा कहीं खो गया? क्या लोकतंत्र कहीं सो गया?' - द्रौपदी के समय कृष्ण ने चौर बढ़ाया था, आज कौन बचाएगा? यह लोकतंत्र का सो जाना ही तो है।

बिंदु 2: इस कविता को क्यों पढ़ा जाना चाहिए? - तथ्य और आंकड़े यह केवल कविता नहीं, सामाजिक

चेतावनी है:

- NCRB 2024 के अनुसार हर 16 मिनट में एक महिला के खिलाफ अपराध।

- घर से काम और काम से घर के बीच का सफर आज भी महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित है।

- सशक्तिकरण केवल आरक्षण और भाषण नहीं, बल्कि निर्भय होकर सड़क पर चलने का अधिकार है।

बिंदु 3: संविधान क्या कहता है? - नारी के 5 अभेद्य अधिकार भारत का संविधान इस कविता के हर सवाल का जवाब अधिकार के रूप में देता है:

- अनुच्छेद 14 - समानता का अधिकार: राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से वंचित नहीं करेगा।
- अनुच्छेद 15(3) - विशेष संरक्षण: राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार है। इसी पर देहज, पॉक्सो, घरेलू हिंसा

## नारी सशक्तिकरण के नारों के बीच कड़वा सवाल - क्या कृष्णा कहीं खो गया, क्या लोकतंत्र कहीं सो गया? दर-दर भटकती नारी की अस्मत् पूछती है, क्या सच में सशक्तिकरण हो गया?

कानून टिके हैं।

3. अनुच्छेद 19(1)(d) और (g) - निर्भय विचरण और व्यवसाय: हर नारी को भारत में कहीं भी बिना डर घूमने और रोजगार करने का अधिकार है। लज्जा सड़क पर लजाए, यह इस अधिकार का उल्लंघन है।

4. अनुच्छेद 21 - गरिमापूर्ण जीवन: सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है - जीवन का अर्थ केवल सांस लेना नहीं, गरिमा के साथ, भयमुक्त जीना है। अस्मत् की सुरक्षा इसी में आती है।

5. अनुच्छेद 51A(e) - मौलिक कर्तव्य: हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह महिलाओं के प्रति अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करे।

बिंदु 4: सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक आदेश क्या कहते हैं? - जब कृष्णा नहीं, कानून आएगा कवयित्री पूछती हैं 'क्या कृष्णा खो गया' - न्यायपालिका ने उसी कृष्णा की भूमिका निभाई है:

- विशाखा बनाम राजस्थान (1997) और POSH Act 2013: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न को अनुच्छेद 14, 19, 21 का उल्लंघन माना गया। हर ऑफिस में Internal Complaints Committee अनिवार्य।
- निर्भया केस - मुकेश बनाम दिल्ली (2017): सुप्रीम कोर्ट ने कहा - सड़क पर महिला की सुरक्षा राज्य की सर्वोच्च जिम्मेदारी है। इसके बाद Criminal Law Amendment 2013 और 2018 में फांसी तक का प्रावधान।
- घरेलू हिंसा पर ऐतिहासिक आदेश (2024-25): जस्टिस बी.वी. नागरला की पीठ ने सभी राज्यों को 6 सप्ताह में जिला और तालुका स्तर पर संरक्षण अधिकारी नियुक्त करने और One Stop

Centre / नारी निकेतन स्थापित करने का आदेश दिया। हर पॉइंट को मुफ्त कानूनी सहायता (NALSA) का अधिकार है।

4. मातृत्व अवकाश मौलिक अधिकार (2025): सुप्रीम कोर्ट ने कहा - 'मातृत्व अवकाश हक है, दान नहीं।' जैविक और गोद लेने वाली दोनों माताओं को समान अधिकार। यह सशक्तिकरण का असली अर्थ है।

5. महिला डॉक्टरों की नाइट ड्यूटी पर रोक को फटकार (2024): बंगाल सरकार के 'महिलाएं रात में काम नहीं कर सकती' वाले आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा - सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है, महिलाओं पर पाबंदी लगाता संविधान के खिलाफ है।

संपादकीय टिप्पणी - परिवहन विशेष की अपील अनामिका गुप्ता जी की कविता एक आईना है। नारी सशक्तिकरण का अर्थ बैर पर फोटो लगाना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि लज्जा सड़कों पर लजाए नहीं, बल्कि बेशर्मी लजाए।

परिवहन विशेष जनहित में मांग करता है:

- हर थाने में महिला हेल्प डेस्क 24x7 सक्रिय हो।
- सड़कों पर सीसीटीवी और रोशनी को सुरक्षा ऑडिट से जोड़ा जाए।
- सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार हर जिले में संरक्षण अधिकारी और वन स्टॉप सेंटर की सूची सार्वजनिक की जाए।

क्योंकि जब तक एक भी कन्या के घर से निकलने पर सवाल उठता है, तब तक 'नारी सशक्तिकरण हो गया' कहना, लज्जा का ही अपमान है।

**भारतीय जनता पार्टी**

शीर्ष नेतृत्व द्वारा मुझे

**प्रदेश प्रभारी**

सोशल मीडिया नियुक्त किए जाने पर

**हार्दिक धन्यवाद**

**राजेश भाटिया**

उपाध्यक्ष भाजपा, दि.प्र.



## परिवहन विशेष आज एक ऐसी वैकेंसी निकाल रहा है, जो किसी कंपनी की नहीं, पूरे समाज की है। तुरंत आवश्यकता है... समाज को ऐसे कारीगरों की - जो तार नहीं, टूटे हुए दिलों को जोड़ सकें

इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, माली नहीं, मानवता के इंजीनियर चाहिए - नफरत के इस दौर में मोहब्बत ट्रांसप्लांट करने वाले डॉक्टर और जाति-धर्म से ऊपर न्याय करने वाले जज की तलाश

संजय कुमार बाटला - प्रधान संपादक परिवहन विशेष

भवन बनाने के लिए हमें राज मिस्त्री, बिजली के लिए इलेक्ट्रिशियन, पानी के लिए प्लंबर की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज समाज जिस मोड़ पर खड़ा है, वहां ईट-पत्थर नहीं, ईंसानियत के कारीगरों की तुरंत

आवश्यकता है।

परिवहन विशेष आज एक ऐसी वैकेंसी निकाल रहा है, जो किसी कंपनी की नहीं, पूरे समाज की है।

बिंदु 1: समाज के 10 सबसे जरूरी पद, जिनकी तुरंत भरती होनी चाहिए

- एक इलेक्ट्रिशियन: जो ऐसे दो व्यक्तियों के बीच कनेक्शन कर सके, जिनकी आपस में बातचीत बंद है। आज घर-घर में सन्नाटा है, फोन है पर संवाद नहीं।
- एक ऑटिडिशियन: जो लोगों की दृष्टि के साथ दृष्टिकोण में भी सुधार कर सके। आंखों का चश्मा तो बन जाता है, सोच का चश्मा कौन

बदलेगा?

3. एक चित्रकार: जो हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान की रेखा खींच सके। उदास चेहरों के इस शहर में हंसी सबसे महंगी हो गई है।

4. एक राज मिस्त्री: जो दो पड़ोसियों के बीच पुल बनाने में सक्षम हो। दीवारें ऊंची हो गई हैं, दिलों के बीच पुल चाहिए।

5. एक हाथी: जो अच्छे विचारों का रोपण करना जानता हो। खेत में खाद-पानी तो बहुत है, मन में सकारात्मक बीज कौन बोएगा?

बिंदु 2: सबसे महत्वपूर्ण 5 पद - जिनके बिना समाज अधूरा है

6. एक प्लंबर: जो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सके। रिश्तों में लीकेज बहुत है, पति-पत्नी, पिता-पुत्र, भाई-भाई के बीच।

7. एक वैज्ञानिक: जो दो व्यक्तियों के बीच इंगो (अहंकार) का इलाज खोज सके। आज सबसे बड़ी बीमारी 'मैं' की है, इसका टीका चाहिए।

8. एक शिक्षक: जो एक दूसरे के साथ विचारों का सही आदान-प्रदान करना सिखा सके। डिग्री तो बहुत बंट रही है, संवाद की शिक्षा गायब है।

9. एक डॉक्टर: जो सबके दिलों में से नफरत, जलन, क्रोध निकाल कर मोहब्बत और भाईचारा ट्रांसप्लांट कर

दे। यह ओपन हार्ट सर्जरी आज सबसे जरूरी है।

10. एक जज: जो धर्म, जाति, पैसा के वर्चस्व को समाप्त कर मानवता और समानता के आधार पर न्याय कर सके। कानून की किताब में सब बराबर हैं, जमीन पर फैसला पैसा और पहचान देखकर होता है।

प्रधान संपादक की टिप्पणी - जनहित में जारी यह कोई चुटकुला नहीं, आज के समय की सबसे बड़ा सच है। हमने तरक्की तो कर ली, सड़कें चौड़ी कर लीं, गाड़ियां तेज कर लीं, लेकिन दिलों की दूरी कम नहीं कर पाए।

सरकारें पुल, सड़क, बिल्डिंग बनाती हैं, पर समाज को जोड़ने वाले इन 10 कारीगरों की भरती का विज्ञापन कोई नहीं निकालता।

परिवहन विशेष की अपील: यदि आपके आसपास ऐसा कोई इलेक्ट्रिशियन, माली, डॉक्टर, शिक्षक है जो यह काम कर रहा है, तो वह हमारे समाज का असली हीरो है। उसे सलाम कीजिए और खुद भी इस भरती में शामिल हो जाएं।

क्योंकि ईट-पत्थर का भवन तो बन जाएगा, लेकिन यदि ईंसानियत का भवन गिर गया तो उसमें रहने वाला कोई नहीं बचेगा।

**टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत**  
https://tolwa.com/about.html | tolwaIndia@gmail.com, tolwadelhi@gmail.com



**पिंकी कुंडू**

Sanchar Saathi पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग करें - अपने मोबाइल कनेक्शन और हैंडसेट को सुरक्षित और सत्यापित करना आसान है!

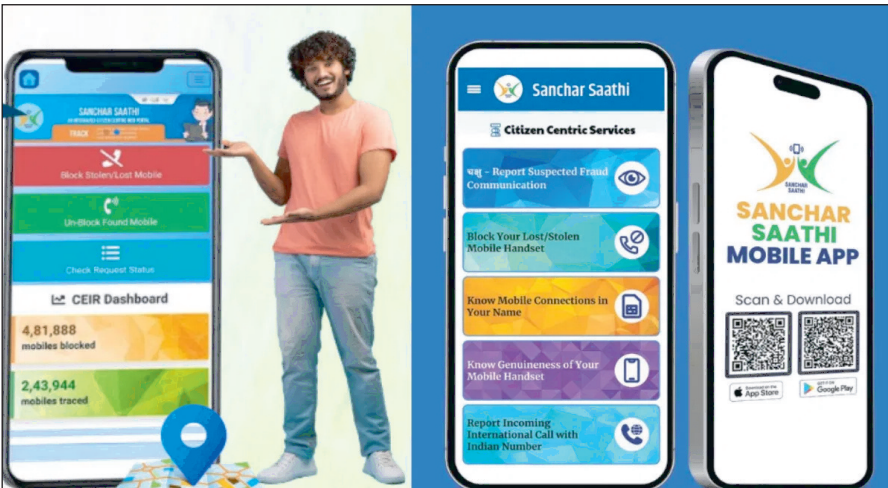
दूरसंचार विभाग (DoT) ने नागरिकों को चेतावनी देते हुए एक सख्त परामर्श जारी किया है कि फर्जी सिम कार्ड जारी करना, टेलीकॉम पहचानकर्ताओं का दुरुपयोग करना या IMEI नंबर से छेड़छाड़ करना अपराध है। ऐसे मामलों में तीन साल तक की कैद और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे अपने मोबाइल कनेक्शन और हैंडसेट को सुरक्षित और सत्यापित करने के लिए Sanchar Saathi पोर्टल और मोबाइल ऐप का उपयोग करें।

**दूरसंचार विभाग (DoT) की चेतावनी:**

- फर्जी सिम कार्ड जारी करना,
- टेलीकॉम पहचानकर्ताओं का दुरुपयोग,
- या IMEI नंबर से छेड़छाड़ - इन अपराधों पर 3 साल तक की कैद और 50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

**कानूनी दंड**

## आज का साइबर सुरक्षा विचार



अधिकतम 3 वर्ष का कारावास 50 लाख तक का जुर्माना अपराध गंभीर और गैर-जमानती हैं (Telecommunications Act, 2023 के अंतर्गत)

**हाल की घटना**

- छत्तीसगढ़ में एक PoS एजेंट ने नागरिकों के पहचान दस्तावेजों का दुरुपयोग कर 25 मोबाइल कनेक्शन अवैध रूप से सक्रिय किए।
- DoT ने एजेंट को ब्लैकलिस्ट किया और संदिग्ध नंबरों को पुनः सत्यापन के बाद बंद कर दिया।
- नागरिकों को क्या नहीं करना चाहिए
  - नकली दस्तावेजों से सिम कार्ड लेना।
  - दूसरों को अपना सिम कार्ड देना या ट्रांसफर करना।
  - IMEI नंबर से छेड़छाड़ वाले उपकरणों का उपयोग करना।

- ऐप/वेबसाइट से Calling Line Identity (CLI) या अन्य पहचान बदलना।
- सिम कार्ड को किराए पर देना या साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल करना।

**नागरिक सुरक्षा उपाय**

- Sanchar Saathi पोर्टल और ऐप
- वेबसाइट: www.sancharsaathi.gov.in (sancharsaathi.gov.in in Bing)
- अपने नाम से जारी सभी मोबाइल नंबर देखें।
- अनिवार्यक या संदिग्ध नंबर ब्लॉक करें।
- हैंडसेट का IMEI सत्यापित करें।
- सतर्क रहें
- नियमित रूप से अपने मोबाइल

कनेक्शन की जाँच करें।

- संदिग्ध गतिविधि तुरंत ऑपरेटर या पुलिस को रिपोर्ट करें।
- आधार/पैन तैयार रखें, जब भी पुनः सत्यापन की आवश्यकता हो।

**दुरुपयोग के खतरे**

- पहचान चोरी: फर्जी सिम से धोखाधड़ी और साइबर अपराध हो सकते हैं।
- कानूनी जिम्मेदारी: आपके नाम से जारी सिम का दुरुपयोग होने पर आप पर कार्रवाई हो सकती है।
- नेटवर्क सुरक्षा खतरा: IMEI छेड़छाड़ से दूरसंचार ढांचा और नागरिक सुरक्षा प्रभावित होती है।

**संदेश:**

आपका SIM और IMEI आपकी डिजिटल पहचान है। इसे सत्यापित और सुरक्षित रखें, और कानूनी सीमा में रखें ताकि धोखाधड़ी और दंड से बच सकें।

## परिवहन विशेष - मातृ-वेदना: देख मैं तेरी माँ हूँ - 60-70 की उम्र में सड़क पर पड़ी माँ की आखिरी गुहार

यह कविता उन संतानों के लिए है जो माता-पिता को घर से निकाल देते हैं - 'संपति ले ले, पर खुद से दूर मत कर ... एक घूँट पानी के लिए लाचार तड़प रही हूँ'

लेखिका: अदिति कुशाबाहा, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक, बैकुंठपुर, (कोरिया) छत्तीसगढ़

प्रस्तुतकर्ता पिंकी कुंडू सामाजिक परामर्शदाता परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक

बैकुंठपुर की गलियों से लेकर दिल्ली के लॉवे तक, एक से तखीर आग लेती जा रही है - बूढ़ी माँ सड़क किनारे बैठी, फटे श्रॉवल में बैठे की तखीर।

परिवहन विशेष की संवाददाता अदिति कुशाबाहा ने इसी वेदना को शब्द दिए हैं। यह कविता नहीं, आग की अदालत में एक माँ का हलफनामा है।

मूल कविता:

- > देख मैं तेरी माँ हूँ
- > 60-70 की उम्र है मेरी,
- > अन्न देखकर कुछ तो शर्म कर ले
- > माँ हूँ तेरी ...
- > बैठा तेरी ज़रूरत है मुझे।
- > देख कैसे खालत है मेरी
- > आज सड़कों पर पड़ी हूँ,
- > थोड़ी सी जान बची है मेरी।
- > आखरी साँसों तक
- > मुझे अपने हाथों से भोजन कराओगे क्या,
- > जो प्यार बने बचपन में तुझे दिया, क्या उसको लौटा पाओगे?
- > तेरे घरे पर मुस्कान जब भी आती थी,
- > उसे देखकर मैं मुस्कुराती थी।
- > ए मेरे बच्चे,
- > नहीं चाहिए मुझे कोई और ना ली मेरी संपति ले लेना तु मुझसे, जो लोग मेरा।
- > लेकिन खुद से दूर मत कर मुझे, अपने हाथों की लकीरों को काटकर मैंने तुझको पाला है, अपने हिस्से की हर खुरी
- > तुझे देने की कोशिश की है।



> क्या अभी भी तेरा दिल पत्थर का है, > जो मेरे हृदय के पीड़ा को समझ भी नहीं सकते?

> माँ नहीं तो ईसान ली समझ ले मुझे, > यूँ सड़कों पर मत फँक मुझे,

> यूँ लाचार मत लेने दे।

> जो सपना देखी थी मैंने तेरे साथ बिताते की,

> कुछ ना सही तो अपने पास ली रख ले। > देख, तेरी माँ के कैसे खालत बन गए, > जो एक घूँट पानी के लिए भी सड़क पर लाचार तड़प रही है।

बिंदु 1: कविता का कर्म - हाथों की लकीरों काटकर पाता था

यह पंक्ति पूरे समाज को कटघरे में खड़ा करती है - "अपने हाथों की लकीरों को काटकर मैंने तुझको पाला है।"

माँ कहती है - संपति ले ले, पैसा ले ले, पर मुझे घर से मत निकाल। एक बेड़े से मूल नहीं, आखिरी साँसों तक अपने हाथों से दो निवाले और एक घूँट पानी मांग रही है।

"माँ नहीं तो ईसान ली समझ ले मुझे" - जब संतान माँ को माँ न समझे, तो वह ईंसानियत की भीख मांगने लगती है। यह हमारे सभ्य समाज के नाथे पर सबसे बड़ा कतक है।

बिंदु 2: तथ्य - यह एक माँ की नहीं, देश की कसबती है

- HelpAge India 2024 सर्वे: भारत में 47% बुजुर्ग अपने लै बच्चों द्वारा दुर्व्यवहार



का शिकार हैं, 70% मांगते संपति के कारण।

- छत्तीसगढ़ में वृद्धाश्रमों में 62% महिलाएँ ऐसी हैं जिनके 2-3 बेटे हैं, पर कोई रखने को तैयार नहीं।
- सड़कों पर भीख मांगने वाले बुजुर्गों में 55% महिलाएँ हैं, जिनमें से अधिकांश की कसबती यही है - "बेटे ने निकाल दिया।"
- बिंदु 3: कानून क्या कहता है? - माँ को सड़क पर फेंकना अब अपराध है, पाप नहीं भारत का कानून अब इस पीड़ा को सिर्फ भावना नहीं, अपराध मानता है:

1. माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण-पोषण अधिनियम, 2007 (धारा 4, 23, 24):

- 60 वर्ष से ऊपर के माता-पिता को संतान से भरण-पोषण पाने का कानूनी अधिकार है।
- यदि संतान माता-पिता को देखभाल नहीं करती, तो दिव्यनल (SDM की अदालत) संपति का हस्तांतरण रद्द कर सकती है - यानी बेटे के नाग की गई जमीन/मकान वापस माँ को मिलेगा।
- माता-पिता को छोड़ना - 3 महीने तक जेल और 50000 रु. जुर्माना, और 2024 संशोधन में 6 महीने जेल और 1,00,000 जुर्माना प्रस्तावित।
- 2. भारतीय न्याय संहिता (BNS) धारा 85 (पहले IPC 125):

- माता-पिता भरण-पोषण के लिए कोर्ट में केस कर सकते हैं। 1 बेटा 10,000 से 50,000 तक मासिक देने को बाध्य।

3. सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक आदेश - अरुणो कुमार बनाम भारत संघ (2002):

- "बुजुर्गों के लिए शेल्टर, दवा, खाना राज्य की जिम्मेदारी है। हर जिले में वृद्धाश्रम और हेल्पलाइन 14567 सक्रिय हो।"
- सुदीपा बनाम राज्य (2022) में सुप्रीम कोर्ट: "जिस घर में माँ ने खून-पसीने से बनाया, उसी घर से बच्चे-बेटा माँ को नहीं निकाल सकते। बच्चे के घरेलू हिंसा कानून से ऊपर सास का खेले का अधिकार है।"

4. छत्तीसगढ़ सरकार की योजना:

- मुख्यमंत्री वृद्धजन सहायता, वृद्ध पेंशन 1000 रु. और हर जिले में "महतारी सदन"।
- बैकुंठपुर में भी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में नि:शुल्क वकील मिलता है।

संपादकीय टिप्पणी - परिवहन विशेष की अपील अदिति कुशाबाहा जी ने एक माँ के आँसू को स्वास्ती बनाया है। यह कहता है उस बेटे के दरवाजे पर थिपकनी चाहिए जो माँ को बोझ समझता है।

परिवहन विशेष जनहित में 3 अपील करता है:

- संतानों से: संपति नहीं, माँ की दूआ बड़ी है।
- प्रशासन से: कोरिया-बैकुंठपुर: अदिति जी की यह रिपोर्ट केवल कविता न रहे, बैकुंठपुर में ऐसी माताओं का सर्वे कर उन्हें "महतारी सदन" तक पहुँचाया जाए।
- कानून से: "जो एक घूँट पानी के लिए तड़प रही है, वह वही साथ है जिससे तुम्हें पलता दूध पीलाया था।"



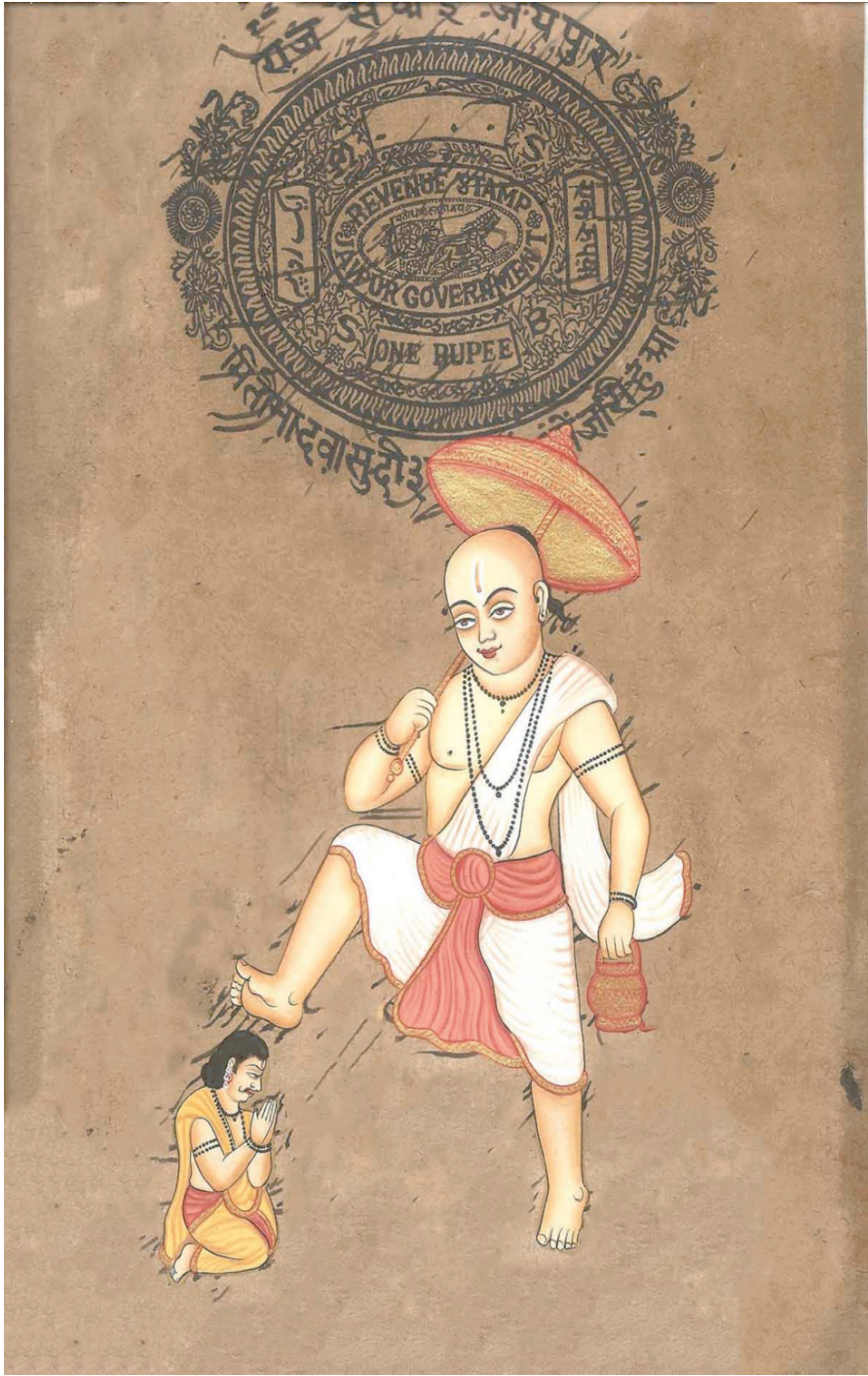




# धर्म अध्यात्म



## वामन जयंती आज



परिवहन विशेष संवाददाता  
गोरखपुर।

वामन जयंती भगवान विष्णु के पांचवें अवतार (वामन अवतार) के प्रकट होने के उत्सव के रूप में मनाई जाती है। वर्ष 2026 में वामन जयंती 23 सितंबर, बुधवार के दिन मनाई जाएगी।  
**मुख्य बातें :-**  
तिथि: भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि।

मुहूर्त : श्रवण नक्षत्र के अभिजित मुहूर्त में श्रीहरि का प्रकट्य हुआ था।  
स्वरूप: भगवान विष्णु ने त्रेता युग में एक छोटे ब्राह्मण (बौने) बालक का रूप धारण किया था।  
**पौराणिक महत्व :-**  
भगवान वामन ने राजा महाबली के अहंकार को नष्ट किया था और तीनों लोकों की रक्षा की थी। यह मत्स्य, कूर्म, वराह

और नरसिंह के बाद भगवान विष्णु का पहला मानवीय (मानव) अवतार था।  
**पूजा विधि :-** घर के मंदिर में भगवान विष्णु या वामन स्वरूप की मूर्ति/चित्र स्थापित करें। प्रतिमा को गंगाजल से स्नान कराएं। अक्षत, पुष्प और तिलक लगाएं। दही, चावल और चीनी का भोग लगाएं। 'ओम नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें

## बाली, सुग्रीव, केसरी आदि बंदर, जामवंत भालू रूप में दिखते हैं परंतु सबकी पत्नियां खूबसूरत स्त्री रूप क्यों ?

लेखक गोपी चंद मक्खड़  
करनाल हरियाणा

यह प्रश्न बहुत लोग हंसी में पूछते हैं, पर इसका उत्तर बहुत गहरा है। इसे एक ही दृष्टि से नहीं, 4 दृष्टियों से समझना होगा।

1. पहली भूल - वानर का अर्थ बंदर नहीं है  
संस्कृत में वानर = वने नरः - वन में रहने वाला नर। यह एक मानव सभ्यता थी, कोई पूंछ वाली बंदर जाति नहीं।  
वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट लिखा है - वानर सभ्य भाषा बोलते हैं, राजदरबार चलाते हैं, अस्त्र-शस्त्र धारण करते हैं, वेद पढ़ते हैं। क्या बंदर ऐसा करता है ?

विन्सेंट स्मिथ और अंग्रेज इतिहासकारों ने चित्रों में पूंछ लगा कर उन्हें बंदर बना दिया। मूल ग्रंथ में वे कपीश, शाखामुग कहे गए हैं - अर्थात् वृक्षों पर तेज गति से चलने वाले, पर्वतों में रहने वाले बलशाली मानव।  
जैसे आज नागालैंड का अर्थ नाग नहीं, गोंडवाना का अर्थ गोंड, वैसे ही किष्किंधा के निवासी वानर कहे गए। उनका ध्वज चिन्ह वानर था, इसलिए वे वानर-वंशी कहलाए।  
और जामवंत तो भालू हैं ही नहीं। वह ऋक्ष हैं। ऋक्ष का अर्थ है - नक्षत्र-विद्या जानने वाला, ऋषि। ऋक्षराज जामवंत ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सृष्टि के सबसे

प्राचीन ऋषियों में से एक। उन्हें भालू बनाना चित्रकारों की भूल है।  
2. देव-अंश और अप्सरा-वंश का विज्ञान  
रामायण का बालकांड खोलिए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा - विष्णु नर रूप में अवतार लेंगे, तुम सब वानर रूप में पुत्र उत्पन्न करो।  
- बाली-सुग्रीव - इंद्र और सूर्य के अंश से  
- हनुमान - वायु और शिव के अंश से  
- जामवंत - ब्रह्मा के अंश से

ये देव-अंश थे, पशु नहीं।  
**और इनकी पत्नियाँ कौन थीं ?**  
तारा - वह वानरी नहीं, देवगुरु बृहस्पति की पुत्री और अप्सरा हैं। उसका रूप और बुद्धि दोनों दिव्य थी। बाली को नीति वही सिखाती थी।  
रुमा - वह गंधर्व राज की कन्या थी।  
अंजना - केसरी की पत्नी, स्वयं अप्सरा पुंजिकस्थला थी, शाप से वानर-यौनि में आई थी। वह परम सुंदरी थी, इसीलिए वायु देव उस पर मोहित हुए।  
तो पिता देवता और माता अप्सरा - संतान बलशाली वानर, पर पत्नी अप्सरा-कुल की सुंदरी। यह तो सीधा आनुवंशिकी है।  
जैसे आज भी एक पहलवान

**बाली, सुग्रीव, केसरी आदि बंदर, जामवंत भालू रूप में दिखते हैं परंतु सबकी पत्नियां खूबसूरत स्त्री रूप क्यों ?**

यह प्रश्न बहुत लोग हंसी में पूछते हैं, पर इसका उत्तर बहुत गहरा है। इसे एक ही दृष्टि से नहीं, 4 दृष्टियों से समझना होगा।

**1 पहली भूल - वानर का अर्थ बंदर नहीं है**

संस्कृत में वानर = वने नरः - वन में रहने वाला नर। यह एक मानव सभ्यता थी, कोई पूंछ वाली बंदर जाति नहीं।  
वाल्मीकि रामायण में वे सभ्य भाषा बोलते हैं, राजदरबार चलाते हैं, अस्त्र-शस्त्र धारण करते हैं, वेद पढ़ते हैं।  
विन्सेंट स्मिथ और अंग्रेज इतिहासकारों ने चित्रों में पूंछ लगा कर उन्हें बंदर बना दिया।  
मूल ग्रंथ में वे कपीश, शाखामुग कहे गए हैं - अर्थात् वृक्षों पर तेज गति से चलने वाले, पर्वतों में रहने वाले बलशाली मानव।  
जैसे आज नागालैंड का अर्थ नाग नहीं, गोंडवाना का अर्थ गोंड, वैसे ही किष्किंधा के निवासी वानर कहे गए।  
उनका ध्वज चिन्ह वानर था, इसलिए वे वानर-वंशी कहलाए।  
और जामवंत तो भालू हैं ही नहीं। वह ऋक्ष हैं। ऋक्ष का अर्थ है - नक्षत्र-विद्या जानने वाले ऋषि। ऋक्षराज जामवंत ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सृष्टि के सबसे प्राचीन ऋषियों में से एक।

**2 देव-अंश और अप्सरा-वंश का विज्ञान**

ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा - विष्णु नर रूप में अवतार लेंगे, तुम सब वानर रूप में पुत्र उत्पन्न करो।  
- बाली-सुग्रीव - इंद्र और सूर्य के अंश से  
- हनुमान - वायु और शिव के अंश से  
- जामवंत - ब्रह्मा के अंश से

**3 कामरूपी होने का वरदान**

वाल्मीकि जी बार-बार लिखते हैं - कामरूपी, कामधारी। अर्थात् वानर अपनी इच्छा से रूप बदल सकते थे।  
मुद्र में वे विकराल रूप धारते थे, दरबार में मानव रूप।  
उनकी पत्नियां सदा मानवीय, दिव्य रूप में रहती थीं क्योंकि उन्हें बुद्ध नहीं करना था।  
हनुमान जी को देखिए - वे चाहे तो मच्छर बन जाएं, चाहे तो पहाड़। क्या वे बंदर हैं? वे तो संकल्प-सिद्ध हैं।

**4 तात्विक अर्थ - सबसे गहरा**

बाली है - बल, अहंकार।  
सुग्रीव है - सुकृंत वानर, विन्या।  
नरार है - बुद्धि।  
बुद्धि क्यों जरा जब तक सभी बाली के साथ है, क्योंकि अंश है। बुद्धि होने से बाली मानव जाति है।  
कन्या है - अंग और राज-न्याय।  
अंग एक शक्ति के वाहन नहीं, वह दीन है।  
रुमा मिलते ही वह राजा है।  
अंजना है - अंजन का अर्थ है माया का अंजन हटाने वाली। अंजना के गर्भ से ही हनुमान अवतार ब्रह्मज्ञान का जन्म होता है।  
तो क्या कहें हमें? वे तो संकल्प-सिद्ध हैं।  
वह सदा सुंदर हो रही हैं - कन्या, बुद्धि, लक्ष्मी के रूप में।

**निष्कर्ष**

वे बंदर नहीं थे, वन-मानवों की एक महान सभ्यता थी जो लुप्त हो गई।  
उन्के ध्वज पर वानर चिन्ह था, उनके नाम वानर थे, पासे देवताओं के अंश थे।  
उनकी पत्नियां स्त्री रूप में ही दिखती हैं, क्योंकि वे वास्तव में अप्सरा, गर्भव-कन्या और ऋषि-कन्या थीं। सुंदर थीं, विनयी थीं, और इतनी हीन आज भी तारा को पंचकन्या में माना जाता है।

अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तेषां पंचकन्या स्मरेन्नित्यं महापातकं नाशनम्॥

का विवाह सुंदर स्त्री से होता है, तो क्या आश्चर्य ?  
3. कामरूपी होने का वरदान  
वाल्मीकि जी बार-बार लिखते हैं - कामरूपी, कामधारी। अर्थात् वानर अपनी

इच्छा से रूप बदल सकते थे।  
युद्ध में वे विकराल रूप धरते थे, दरबार में मानव रूप। उनकी पत्नियां सदा मानवीय, दिव्य रूप में रहती थीं क्योंकि उन्हें युद्ध नहीं करना था।  
हनुमान जी को देखिए - वे

चाहे तो मच्छर बन जाएं, चाहे तो पहाड़। क्या वे बंदर हैं ? वे तो संकल्प-सिद्ध हैं।  
4. तात्विक अर्थ - सबसे गहरा  
बाली है - बल, अहंकार।  
सुग्रीव है - सुकृंत वानर,

अर्थात् जिसकी वाणी सुंदर है, विनम्र है।  
तारा है - बुद्धि।  
बुद्धि रूपी तारा जब तक बल रूपी बाली के साथ है, बाली अजेय है। बुद्धि हटते ही बाली मारा जाता है।  
रुमा है - प्रेम और राज्य-लक्ष्मी। जब तक सुग्रीव के पास रुमा नहीं, वह दीन है। रुमा मिलते ही वह राजा है।  
अंजना है - अंजन का अर्थ है माया का अंजन हटाने वाली। अंजना के गर्भ से ही हनुमान अर्थात् ब्रह्मज्ञान का जन्म होता है।  
तो कथा कह रही है - बलवान पुरुष की पत्नी भीतर की शक्ति होती है, वह सदा सुंदर ही होती है - करुणा, बुद्धि, लक्ष्मी के रूप में।  
निष्कर्ष - वे बंदर नहीं थे, वन-मानवों की एक महान सभ्यता थी जो लुप्त हो गई। उनके ध्वज पर वानर चिन्ह था, उनके नाम वानर थे, पर वे देवताओं के अंश थे।  
उनकी पत्नियां स्त्री रूप में ही दिखती हैं, क्योंकि वे वास्तव में अप्सरा, गंधर्व-कन्या और ऋषि-कन्या थीं। सुंदर थीं, विनयी थीं, और इसीलिए आज भी तारा को पंचकन्या में गिना जाता है - अहल्या द्रौपदी कुंती तारा मंदोदरी तेषां पंचकन्या स्मरेन्नित्यं महापातकं नाशनम्।

## ठाकुरश्री कौशल किशोर राम मन्दिर में धूमधाम से मनाया गया श्रीराधा अष्टमी एवं श्रीमद्भागवत जयंती महोत्सव



(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

**परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक वृन्दावन**  
वृन्दावन। बांके बिहारी कॉलोनी स्थित ठाकुरश्री कौशल किशोर राम मन्दिर में अखिल भारतीय श्रीराम मित्र मण्डल (रजि.) के द्वारा श्रीराधा अष्टमी महोत्सव एवं श्रीमद्भागवत जयंती महोत्सव महंत आचार्य रामदेव चतुर्वेदी के पावन सान्निध्य में अत्यन्त श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ मनाया गया जिसके अंतर्गत महंत कुशदेव चतुर्वेदी के द्वारा श्रीराधा जन्म से संबंधित बधाईयों का संगीत की मृदुल स्वर लहरियों के मध्य गायन किया गया। साथ ही खेल-खिलौने, मेवा-मिष्ठान, रुपये-कपड़े एवं वर्तन आदि लुटायें गए।  
इस अवसर पर आयोजित

संत-विद्वत् सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त करते हुए श्रीराम मन्दिर के महंत आचार्य रामदेव चतुर्वेदी ने कहा कि रस साम्राज्ञी श्रीराधा रानी परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण की अर्चित शक्ति हैं। उनको कृपा से ही कृष्ण-तत्त्व की प्राप्ति होती है। इसलिए इनमें से किसी एक की उपासना से भी दोनों की प्राप्ति सुनिश्चित है।  
प्रख्यात साहित्यकार ह्यूपी रत्नर डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने कहा कि जगत जननी राधा की भगवान श्रीकृष्ण की स्वरूपभूता महाराज, महंत संतोष पुजारी, श्रीमती कुंजलता चतुर्वेदी, आचार्य लवदेव चतुर्वेदी, श्रीमती प्रिया चतुर्वेदी, आध्यात्मिक पत्रकार डॉ. राधाकांत शर्मा, आचार्य भूति कृष्ण महाराज, महंत रमणरेती दास, महंत प्रिया शरण महाराज, महंत संतोष पुजारी, आचार्य लवदेव चतुर्वेदी, आचार्य लवदेव चतुर्वेदी, शिवांश देव चतुर्वेदी आदि के उपस्थित रहे। महोत्सव एवं समापन महंतों के सम्मान एवं वृहद भंडारे के साथ हुआ जिसमें असंख्य व्यक्तियों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया।

संत-विद्वत् सम्मेलन में अपने विचार व्यक्त करते हुए श्रीराम मन्दिर के महंत आचार्य रामदेव चतुर्वेदी ने कहा कि रस साम्राज्ञी श्रीराधा रानी परब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण की अर्चित शक्ति हैं। उनको कृपा से ही कृष्ण-तत्त्व की प्राप्ति होती है। इसलिए इनमें से किसी एक की उपासना से भी दोनों की प्राप्ति सुनिश्चित है।  
प्रख्यात साहित्यकार ह्यूपी रत्नर डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने कहा कि जगत जननी राधा की भगवान श्रीकृष्ण की स्वरूपभूता महाराज, महंत संतोष पुजारी, श्रीमती कुंजलता चतुर्वेदी, आचार्य लवदेव चतुर्वेदी, श्रीमती प्रिया चतुर्वेदी, आध्यात्मिक पत्रकार डॉ. राधाकांत शर्मा, आचार्य भूति कृष्ण महाराज, महंत रमणरेती दास, महंत प्रिया शरण महाराज, महंत संतोष पुजारी, आचार्य लवदेव चतुर्वेदी, आचार्य लवदेव चतुर्वेदी, शिवांश देव चतुर्वेदी आदि के उपस्थित रहे। महोत्सव एवं समापन महंतों के सम्मान एवं वृहद भंडारे के साथ हुआ जिसमें असंख्य व्यक्तियों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया।



# सेवा संकल्प अभियान-सेवा सेतु कैंप

सरकार की योजनाओं के लाभार्थी बनने सेवा सेतु कैंप में पहुंचे आमजन महिला विकास निगम की पूर्व चेयरपर्सन सुनीता चौहान ने कैम्प का किया अवलोकन



**परिवहन विशेष न्यूज**

डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर दी योजनाओं की जानकारी जिलावासियों ने सरकारी सेवाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं व स्वास्थ्य जांच का उठाया लाभ

**झज्जर, 22 सितंबर**

सेवा संकल्प अभियान के तहत नागरिकों को सरकारी सेवाओं एवं जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ

सहज रूप से उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झज्जर के सभागार में सेवा सेतु कैंप का आयोजन हुआ। सेवा सेतु कैंप के दूसरे दिन महिला विकास निगम की पूर्व चेयरपर्सन सुनीता चौहान ने कैम्प का शुभारंभ किया। कैंप के दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में जिलावासियों ने पहुंचकर विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी प्राप्त की और उपलब्ध सुविधाओं का लाभ उठाया। डीसी वर्षा खांगवाल के मार्गदर्शन में

झज्जर जिला में सेवा संकल्प अभियान के तहत सेवा सेतु कैंप लगाकर लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है।

**नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं और कार्यक्रमों की दी जानकारी**

कैंप में विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाए गए, जहां विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने नागरिकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं, सेवाओं

और कार्यक्रमों की जानकारी दी। नागरिकों को योजनाओं के लिए निर्धारित पात्रता, आवेदन प्रक्रिया तथा मिलने वाले लाभों के बारे में भी विस्तार से बताया गया। कैंप में पहुंचने वाले लोगों की समस्याओं एवं जिज्ञासाओं का मौके पर समाधान करने का प्रयास किया गया।

**स्वास्थ्य संरक्षण, स्वस्थ जीवनशैली के लिए किया प्रेरित**

सेवा सेतु कैंप में स्वास्थ्य एवं आयुष विभाग की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया। यहां नागरिकों की

स्वास्थ्य जांच करने के साथ उन्हें स्वास्थ्य संरक्षण, स्वस्थ जीवनशैली तथा आयुष पद्धति से संबंधित आवश्यक जानकारी एवं परामर्श दिया गया। इससे कैंप में आने वाले नागरिकों को सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का भी लाभ मिला।

कैंप में विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी लेने के लिए नागरिकों में उत्साह देखने को मिला। लोगों ने विभागीय स्टॉल पर पहुंचकर अपनी जरूरत के अनुसार जानकारी प्राप्त की

तथा पात्रता के आधार पर योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवश्यक प्रक्रिया को समझा। अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने आमजन को सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया।

सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित किए जा रहे सेवा सेतु कैंप का उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं को आमजन के करीब पहुंचाना है, ताकि पात्र नागरिकों को योजनाओं की जानकारी के लिए अलग-अलग

कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़े और उन्हें एक ही स्थान पर आवश्यक जानकारी एवं मार्गदर्शन मिल सके।

महिला विकास निगम की पूर्व चेयरपर्सन सुनीता चौहान ने जिलावासियों से आह्वान किया कि वे प्रशासन की ओर से आगामी शेड्यूल अनुसार सेवा सेतु कैंप में पहुंचकर विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी प्राप्त करें और अपनी पात्रता के अनुसार सरकारी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाएं।

## व्यवस्थित ढंग से होगा झज्जर शहरी क्षेत्र का ड्रेनेज सिस्टम : डीसी

**\*शहर की मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए अधिकारी आपसी समन्वय से करें कार्य\***

**\*-डीसी वर्षा खांगवाल ने अधिकारियों की बैठक में की सड़क, पेयजलापूर्ति,सीवरज व जलनिकासी व्यवस्था की समीक्षा\***

**परिवहन विशेष न्यूज**

व्यवस्थित ढंग से झज्जर शहरी क्षेत्र का ड्रेनेज सिस्टम दुरुस्त किया जाएगा ताकि बरसात में जलभराव की स्थिति शहर की सड़कों पर न हो। यह बात डीसी वर्षा खांगवाल ने कही। वे मंगलवार को सम्बंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक में झज्जर शहर से जुड़ी सड़कों, पेयजलापूर्ति और सीवरज सहित अन्य विषयों पर चर्चा करते हुए जरूरी निर्देश दे रही थीं। बैठक में नगर परिषद के चेयरमैन जिले सिंह सैनी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

डीसी ने कहा झज्जर शहरी क्षेत्र में शहरी निकाय, सिंचाई व जनस्वास्थ्य विभाग आपसी तालमेल करते हुए जल निकासी प्रबंधन पर फोकस करें। आगामी बरसाती सीजन से पूर्व योजनाबद्ध तरीके से कार्य करते हुए सिस्टम को बेहतर बनाया जाए।

उन्होंने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण को लेकर सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। विकास कार्यों में प्रयुक्त होने वाली निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को समय समय पर निर्माण सामग्री के सैम्पल लेने के निर्देश भी दिए। डीसी ने शहर में जलनिकासी व्यवस्था की भी समीक्षा की। उन्होंने जल निकासी प्रबंधन व्यवस्था पर सुधार की दिशा में विशेष कार्य योजना बनाकर कार्य के निर्देश दिए। उन्होंने शहर से संबंधित विभिन्न विकास एवं नागरिक सुविधाओं से जुड़े विषयों पर अधिकारियों के साथ चर्चा की।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए डीसी वर्षा खांगवाल ने झज्जर शहर की सड़क व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, सीवरज

समीक्षा की।

**\*सड़कों के नवीनीकरण कार्य में**

तेजी लाएँ न अप्रधिकारी\*

डीसी ने शहरी स्थानीय निकाय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर की सड़कों की मरम्मत एवं आवश्यक सुधार कार्यों को प्राथमिकता के साथ करवाया जाए, ताकि आमजन को आवागमन में किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभाग अपने-अपने क्षेत्र से जुड़े कार्यों में आपसी समन्वय बनाए रखें, ताकि विकास कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में निर्माण सामग्री के दौरान गुणवत्ता से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा।

**\*शहर में हो नियमित स्वच्छ पेयजल आपूर्ति\***

डीसी वर्षा खांगवाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शहर में नागरिकों को निर्बाध

एवं पर्याप्त पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। जहां कहीं भी पेयजल आपूर्ति से संबंधित समस्या सामने आती है, उसका प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाए। उन्होंने सीवरज व्यवस्था की भी समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए।

**\*यह अधिकारी रहे मौजूद\***

इस अवसर पर जिला नगर आयुक्त जगनवास, सिंचाई एवं जलसंसाधन विभाग के अधीक्षक अभियंता सतीश जनावा, एक्सईएन प्रतिभा मुद्गिल व खिवलेश भारद्वाज, जनस्वास्थ्य विभाग से कार्यकारी अभियंता अश्वनी सांगवान, नगर परिषद के ईओ दविन्दर कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

## एचआईवी की रोकथाम के लिए विभाग आपसी समन्वय से करें कार्य : डीसी

**सेवा संकल्प अभियान के तहत पीजी नेहरू कॉलेज में जिला स्तरीय योग एवं ध्यान शिविर आयोजित योग एवं ध्यान से स्वस्थ जीवनशैली का संदेश, आयुष विभाग के तत्वावधान में आयोजित किए विभिन्न कार्यक्रम सेवा सेतु कैंप में 60 लोगों की हुई निशुल्क स्वास्थ्य जांच, आयुष सुविधाओं में 978 लाभार्थियों ने लिया योग एवं स्वास्थ्य गतिविधियों का लाभ**

**परिवहन विशेष न्यूज**

**झज्जर, 22 सितंबर**

सेवा संकल्प अभियान के तहत 'सेवा मेरा योगदान' थीम के अंतर्गत आयुष विभाग द्वारा मंगलवार को जिला झज्जर में विभिन्न स्वास्थ्य एवं जनकल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन किया गया। शहर के राजकीय पीजी नेहरू कॉलेज परिसर में आयोजित योग एवं ध्यान शिविर का शुभारंभ भाजपा जिलाध्यक्ष विकास वाल्मीकि ने किया। कार्यक्रम में पहुंचने पर प्राचार्य डॉ दलवीर सिंह हुड्डा और जिला योग समन्वयक डॉ पवन देशवाल ने स्वागत करते हुए कार्यक्रम की पुष्टभूमि पर प्रकाश डाला।

**सेवा और स्वास्थ्य के साथ जनभागीदारी को मिल रहा बढ़ावा**

मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष विकास वाल्मीकि ने कहा कि सेवा संकल्प अभियान के माध्यम से समाज के प्रत्येक वर्ग को जनकल्याणकारी गतिविधियों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। योग और ध्यान स्वस्थ जीवनशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा है तथा इनके नियमित अभ्यास से व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक बन सकता है। उन्होंने कहा कि आयुष विभाग द्वारा गांवों, स्कूलों और स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचकर लोगों को योग एवं स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना सराहनीय प्रयास है।

उन्होंने विद्यार्थियों और आम नागरिकों से आह्वान किया कि वे सेवा संकल्प अभियान से जुड़कर स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनसेवा से संबंधित

गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करें तथा योग एवं स्वस्थ जीवनशैली को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं।

**जिला स्तरीय योग एवं ध्यान शिविर में विद्यार्थियों ने किया योगाभ्यास**

जिला योग समन्वयक डॉ पवन देशवाल ने बताया कि आयुष विभाग झज्जर द्वारा योग एवं स्वास्थ्य घटक के तहत पीजी नेहरू कॉलेज, झज्जर में जिला स्तरीय योग एवं ध्यान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कुल 150 लाभार्थियों ने भाग लिया, जिनमें 90 पुरुष और 60 महिलाएं शामिल रहे। शिविर के दौरान प्रतिभागियों को योग एवं ध्यान का अभ्यास करवाया गया तथा नियमित योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरित किया गया। योग के माध्यम से शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक शांति एवं सकारात्मक जीवनशैली को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया।

**आयुष स्वास्थ्य केंद्रों पर भी आयोजित किए गए योग एवं ध्यान सत्र**

आयुष विभाग के योग सहायकों एवं योग प्रशिक्षकों द्वारा अपने-अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामान्य आयुष चिकित्सा केंद्रों, आयुष्मान आरोग्य मंदिरों तथा जिला अस्पतालों में भी योग एवं ध्यान सत्र आयोजित किए गए। इन गतिविधियों के तहत कुल 978 लाभार्थियों को योग एवं स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों का लाभ

मिला। जिले में कुल 81 योग एवं ध्यान सत्र आयोजित किए गए।

**सेवा सेतु कैंप में 60 लोगों की हुई निशुल्क स्वास्थ्य जांच**

सेवा संकल्प अभियान के तहत ब्लॉक एवं नगर स्तर पर आयोजित सेवा सेतु कैंपों में भी आयुष विभाग द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं में सहभागिता की गई। पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झज्जर में आयोजित सेवा सेतु कैंप के दौरान आयुष विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। कैंप में कुल 60 लोगों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिनमें 35 पुरुष और 25 महिलाएं शामिल रहे।

**1188 लाभार्थियों तक पहुंची आयुष विभाग की गतिविधियां**

जिला आयुर्वेदिक अधिकारी डॉ. सुमन ने बताया कि सेवा संकल्प अभियान के तहत आयुष विभाग योग, ध्यान, स्वास्थ्य जांच एवं जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। 22 सितंबर को आयोजित गतिविधियों में कुल 1188 लाभार्थियों ने भाग लिया तथा योग एवं ध्यान के कुल 81 सत्र आयोजित किए गए। उन्होंने बताया कि आयुष विभाग द्वारा सेवा संकल्प अभियान के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने के साथ नागरिकों के अपनी दिनचर्या में योग एवं स्वस्थ आदतों को शामिल करने के लिए निरंतर जागरूक किया जा रहा है।

एसेसमेंट के जरिए अपनी जांच कर सकता है। डीसी ने एचआईवी संक्रमण की रोकथाम, समय पर जांच, उपचार एवं संक्रमित व्यक्तियों की देखभाल से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

उन्होंने एचआईवी से प्रभावित लोगों के प्रति भेदभाव रहित एवं

सहयोगात्मक वातावरण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

डीसी ने कहा कि एचआईवी संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए जागरूकता, जांच और उपचार सेवाओं को लगातार मजबूत किया जाना जरूरी है।

बैठक में नोडल अधिकारी डॉ

निधि मोमिया ने बताया कि एचआईवी की पहचान, उपचार तथा उपचार के माध्यम से स्वास्थ्य स्थिति को बेहतर बनाए रखने के निर्धारित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

**\*बैठक में यह अधिकारी रहे मौजूद\***

इस अवसर पर डिप्टी सिविल सर्जन डॉ कुलदीप सिंह, डॉ संदीप दलाल, डॉ अतुल, माय भारत की उपनिदेशक अर्शदीप, सहायक रजगार अधिकारी सुनीता रानी, सिद्धार्थ, कार्यक्रम प्रबंधक प्रीति नरवाल सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

## खरीफ फसल खरीद सीजन में किसानों को नहीं होनी चाहिए कोई परेशानी : डीसी

डीसी वर्षा खांगवाल ने अधिकारियों के साथ बैठक कर खरीफ 2026 उपज की खरीद तैयारियों की विस्तार से की समीक्षा मंडियों में खरीद, उठान, परिवहन, बिजली-पानी, बारदाना, श्रमिक, धर्मकांटा, बायोमेट्रिक डिवाइस व नमी मापक यंत्रों सहित सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी करने के निर्देश

**झज्जर, 22 सितंबर।**

खरीफ खरीद सीजन 2026-27 के दौरान किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी प्रकार की परेशानी न हो तथा मंडियों एवं खरीद केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो, इसके लिए संबंधित विभाग सभी आवश्यक तैयारियों समय रहते पूरी करना सुनिश्चित करें। मंडियों में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाओं के साथ-साथ फसल की खरीद, उठान, परिवहन एवं श्रमिकों की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

यह निर्देश डीसी वर्षा खांगवाल ने अधिकारियों की बैठक में दिए। डीसी मंगलवार को हरियाणा के कृषि मंत्री श्री श्याम सिंह राणा

तथा खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री श्री राजेश नागर की अध्यक्षता में खरीद तैयारियों को लेकर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस के उपरांत लघु सचिवालय में अधिकारियों की बैठक में जरूरी निर्देश दे रही थीं। उन्होंने मंडियों एवं खरीद केंद्रों पर की जा रही तैयारियों की विस्तार से समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

डीसी ने कहा कि निर्धारित मंडियों एवं खरीद केंद्रों पर खरीद प्रक्रिया की नियमित निगरानी की जाए। किसानों, आढ़तियों, श्रमिकों तथा खरीद एजेंसियों से संबंधित समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि फसल की खरीद के साथ-साथ उसका उठान और परिवहन भी निर्धारित समय पर होना चाहिए, ताकि मंडियों में फसल के कारण अनावश्यक भीड़ न हो।

उन्होंने मंडियों में बारदाना, धर्मकांटा, नमी मापक यंत्र, बायोमेट्रिक डिवाइस, बिजली, पेयजल, श्रमिकों तथा परिवहन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नियुक्त नोडल अधिकारी अपने-अपने मंडी एवं खरीद केंद्र में खरीद प्रक्रिया की समग्र निगरानी

करते हुए नियमित रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

**कानून व्यवस्था व शिकायत निवारण पर भी रहेगी विशेष नजर**

डीसी ने खरीद प्रक्रिया के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा किसानों एवं अन्य संबंधित पक्षों की शिकायतों के त्वरित निवारण के लिए इयूटी मजिस्ट्रेट-सह-अध्यक्ष शिकायत निवारण समिति को जिम्मेदारी सौंपी। उन्होंने निर्देश दिए कि संबंधित अधिकारी मंडियों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखने

के साथ-साथ परिवहन, श्रमिकों तथा फसल उठान से जुड़े मामलों का भी समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करें।

**मंडियों व खरीद केंद्रों पर किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं होंगी सुनिश्चित**

डीसी ने संबंधित अधिकारियों को मंडियों एवं खरीद केंद्रों में सभी मूलभूत सुविधाएं समय रहते उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडियों में सहक का समतलीकरण, अलग प्रवेश एवं निकास द्वार, खरीद केंद्र से



## दिल्ली में न्यायपालिका Vs कार्यपालिका - वकीलों का उपराज्यपाल निवास तक विरोध मार्च कल

**केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 167 में संशोधन के खिलाफ एकजुट हुई बार - 24 सितंबर को दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में पूर्ण कार्य बहिष्कार, तीस हजारी से 11 बजे निकलेगा मार्च**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>- प्रधान संपादक</b><br/> <b>संजय कुमार बाठला   परिवहन</b><br/> <b>विशेष</b></p> <hr/> <p>दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार संगठनों की समन्वय समिति ने विवादित चालानों के निपटारे के लिए कार्यकारी/विभागीय अधिकारियों की नियुक्ति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समिति ने इसे रणनीतिक प्रक्रिया पर अतिक्रमण और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर हमला बताते हुए कल गुरुवार, 24 सितंबर 2026 को उपराज्यपाल निवास तक विरोध मार्च का आह्वान किया है।</p> <p>बिंदु 1: क्या है पूरा मामला ? - पोस्टर में क्या लिखा है पोस्टर के अनुसार समन्वय समिति का विरोध - केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 167 में किए गए संशोधन के खिलाफ है, जिसके तहत विवादित चालानों के निपटारे के लिए विभिन्न कार्यकारी / विभागीय अधिकारियों को नियुक्त किया गया है।</p> | <p align="center"><b>समिति का तर्क है:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- निपटारा न्यायालयों में ही हो - चालान का फैसला न्यायिक अधिकारी करे, विभागीय अधिकारी नहीं।</li> <li>- यह व्यवस्था न्यायपालिका की स्वतंत्रता और विधि-समता प्रक्रिया (Due Process) का उल्लंघन है</li> <li>- न्याय तक पहुँच (Access to Justice) का अधिकार छीना नहीं जा सकता।</li> </ul> <p align="center"><b>बिंदु 2: अब, कहाँ, कैसे होगा विरोध ?</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- तारीख: गुरुवार, 24 सितंबर 2026</li> <li>- समय: प्रातः 11:00 बजे</li> <li>- स्थान: तीस हजारी न्यायालय, नई दिल्ली से माननीय उपराज्यपाल निवास की ओर</li> <li>- नारा: रणकुटुंबर - एक मजबूत न्यायपालिका के लिए / रहमोरा संकल्प - हमारी आवाज - हमारी जिम्मेदारी</li> <li>- स्लोगन: न्यायिक प्रक्रिया की रक्षा   न्यायपालिका की स्वतंत्रता की</li> </ul> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

सुरक्षा | न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करें

बिंदु 3: 24 सितंबर को दिल्ली

मैं क्या बंद रहेगा? समन्वय  
समिति ने घोषणा की है कि -

24.09.2026 को दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार रहेगा।

इसका अर्थ है कि तीस हजारी, कड़कड़डूमा, पटियाला हाउस, रोहिणी, द्वारका, साकेत, राउज एवेन्यू सहित सभी जिला अदालतों में वकील न्यायिक कार्यों से दूर रहेंगे। समिति ने सभी अधिवक्ताओं से अपील की है - र अपनी आवाज बुलंद करें, न्याय के लिए और अधिक से अधिक संख्या में विरोध मार्च में शामिल हों।

बिंदु 4: प्रमुख मांगें - समन्वय  
समिति की 3 मांग

1. उस तंत्र को तत्काल वापस लिया जाए / पुनर्विचार किया जाए।

2. विवादित चालानों का निपटारा न्यायिक तंत्र के भीतर ही किया जाए।

3. न्यायपालिका की स्वतंत्रता,  
विधि-समता प्रक्रिया और न्याय तक  
पहुँच की रक्षा की जाए।

पोस्टर पर "न्याय सबके लिए - मजबूत बार, मजबूत लोकतंत्र" और "सशक्त बार, सत्यपूर्ण समाज के नारे के साथ अधिवक्ता एकता को इलोकतंत्र की असली ताकत बतया गया है।

संपादकीय टिप्पणी -  
जनहित में

यह माम

नहीं, आम वाहन चालक के अधिकार का है। यदि विवादित चालान का फैसला वही विभाग करेगा जिसने चालान काटा है, तो रन्‍यायाधीश और वादी एक हीर वाली स्थिति बनती है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है।

परिवहन विशेष की नजर कल वे  
मार्च और उपराज्यपाल कार्यालय की  
प्रतिक्रिया पर रहेगी। आम जनता से

अपील है कि 24 सितंबर को जिला न्यायालयों में जाने से पहले अपने केस की स्थिति अवश्य जांच लें।

# परिवहन विशेष | दिल्ली | विशेष जनहित सूचना

## 23 सितंबर 2026 | अंक - 168

### जनहित सूचना: दिल्ली जिला न्यायालयों में 24 सितंबर को कार्य बहिष्कार

समन्वय समिति, दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार संगठनों की ओर से - सार्वजनिक सूचना

प्रदर्शन विवरण:

- **विरोध मार्च:** माननीय उपराज्यपाल निवास की ओर
- **दिन:** गुरुवार, 24 सितंबर 2026
- **समय:** प्रातः 11:00 बजे
- **स्थान:** तीस हजारी न्यायालय, नई दिल्ली
- **मुद्दा:** विवादित चालानों के निपटारे हेतु कार्यकारी / विभागीय अधिकारी अनधिकृत नियुक्ति के विरुद्ध
- **केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 - नियम 167 संशोधन**





मांगें:

- ✓ निपटारा न्यायालयों में ही हो
- ✓ न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा
- ✓ न्याय का अधिकार छीना नहीं जा सकता

24.09.2026 को दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में पूर्ण कार्य बहिष्कार

नारे: न्यायिक प्रक्रिया की रक्षा • न्यायपालिका की स्वतंत्रता की सुरक्षा • न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करें

जनहित में जारी - परिवहन विशेष समाचार पत्र, प्रधान संपादक: संजय कुमार बाठला, संपर्क: [parivahanvishesh@gmail.com](mailto:parivahanvishesh@gmail.com) | दिल्ली

## जनहित विशेष रिपोर्ट - दिल्ली परिवहन निगम के बेड़े से आखिरी बस की विदाई

**राजघाट डिपो की बस संख्या 4038 के रिटायरमेंट की खबर ने उठाए निगम के अस्तित्व, संपत्ति और जनता के परिवहन अधिकार पर बड़े सवाल**

**रिपोर्टर्स एसोसिएशन परिवहन विशेष समाचार**

**पत्र दैनिक**

---

**1. तथ्य क्या है ?**  
सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर ( बस DL1P C4018, राजधानी डिपो-1 ) में दावा किया जा रहा है कि 22/09/2026 को DTC की आखिरी बस का पंजीकरण समाप्त हो गया है।

यह दावा तकनीकी रूप से सही दिशा में है। DTC की अपनी खरीदी हुई लो-फ्लोर CNG बसों का बेड़ा जो 2010 कॉमनवेलथ गेम्स के समय खरीदा गया था, अपनी 15 साल की अधिकतम आयु पूरी कर चुका है। सरकार ने अप्रैल 2026 में 464 और जुलाई में 533 बसों को एक साथ हटाया था। राजधानी डिपो की बस 4038 उसी अंतिम कड़ी का हिस्सा मानी जा रही है।

लेकिन यह कबना कि रहिल्ली में DTC की कोई बस नहीं बचीर भ्रमक है। दिल्ली में आज भी 5000+ सार्वजनिक बसें चल रही हैं, जिनमें 2,917 इलेक्ट्रिक बसें हैं जो DTC के बैनर तले ही संचालित हैं।

**2. DTC बना क्यों था ? इतिहास और उद्देश्य DTC को प्राइवेट कंपनी नहीं, एक वैधानिक निगम है।**  
- मई 1948 में भारत सरकार ने दिल्ली की निजी बस सेवा ( Gwalior and Northern India Transport Co. ) को खराब सेवा के बाद हस्तक्षेप किया।  
- 1950 में Road Transport Corporation Act के तहत Delhi Road Transport Authority बनाी, जो 1958 में MCD के अधीन आई।  
- योजना आयोग के वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट पर कि MCD के अधीन DTC में

राजस्व लीकेज और खर्च बहुत अ भारत सरकार ने Delhi Road Transport Laws (Amendment) Act, 1977 2 नवंबर 1971 को DTC की स्थापना की।  
- 05.08.1996 को इसे केंद्र से दिल्ली सरकार ( GNCTD ) दिया गया। 19c59

**कानून में उद्देश्य (Section 130A DTC Act 1950):**  
- दिल्ली और विस्तारित क्षेत्र किफायती, विश्वसनीय और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था प्रदान करना।  
- व्यापारिक सिद्धांतों पर का उच्च संचालन दक्षता और वित्तीय आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। 19c59

**3. संवैधानिक और कानूनी आधार - किसका है DTC जनता का अधिकार:**  
- संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (d) - सर्वत्र भ्रमण का अधिकार - अनुच्छेद 21 - गरिमापूर्ण जीवन, जिसकी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने आवागमन की सुलभता से भी की है।  
- अनुच्छेद 38, 39 और 48 के तहत कार्य है कि वह सार्वजनिक और पर्यावरण संरक्षण के लिए सार्वजनिक परिवहन दे। Motor Vehicles Act, 1988 की धारा 3(4) के तहत राज्य सरकार ही किराया त है।

संपत्ति पर अधिकार किसका है? एक Statutory Corporation इसकी सीमा चल-अचल संपत्ति, डिपो, 3 ISBT ( कश्मीरी गेट, 2

# दिल्ली परिवहन निगम - आखिरी बस की विदाई?

राजघाट डिपो बस 4038 (DLIP C4018) का पंजीकरण समाप्त, DTC के अपने डेढ़ में अब शून्य बस



**1948 से 2026 तक - 78 साल की सेवा**

- 1948: दिल्ली परिवहन सेवा की स्थापना
- लाखों दिल्लीवासियों को 78 वर्षों तक निरंतर सेवा
- अंतिम पारंपरिक CNG बस अब सेवा निवृत्त

## एक युग का अंत

दिल्ली परिवहन निगम के अपने डेढ़ में अब एक भी DTC बस नहीं बची। राजघाट डिपो की बस 4038 का पंजीकरण 2026 में समाप्त, यही थी DTC के डेढ़े की आखिरी बस।

**संवैधानिक अधिकार**

- संविधान के अनुच्छेद 21 - गरिमापूर्ण जीवन हेतु सार्वजनिक परिवहन अधिकार
- सस्ती, सुगम, समावेशी परिवहन सेवा नागरिकों का हक

**DTC के 37 डिपो - अब खाली**

- एक समय 37 डिपो, हजारों बसों का विस्तृत नेटवर्क
- अब सभी डिपो निजी ऑपरेटर्स को हस्तांतरित

**“जनता का सवाल: DTC की संपत्ति किसकी?”**

**भविष्य: इलेक्ट्रिक बसों की ओर**

- लक्ष्य: 100% इलेक्ट्रिक बस वेंच, प्रदूषण मुक्त दिल्ली
- पर्यावरण अनुकूल, लेकिन स्थायित्व व संवादात्मक पर प्रश्न

**जनता की चिंता**

- सार्वजनिक परिवहन हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार
- जनव्यवहारी और पारदर्शिता की मांग



अब नहीं उमड़ी - इलेक्ट्रिक बसें

✦ 78 वर्षों की सेवा को नमन | दिल्ली की जनता की आवाज़ | सार्वजनिक परिवहन बचाओ ✦ यह हम सबका अधिकार है ✦

विहार, सराय काले खां), बसें, वर्कशॉप-केंद्र सरकार से 1996 में सारे कर्ज माफ कर दिल्ली सरकार को हस्तांतरित की गई थी। यानी कानूनी मालिक दिल्ली की जनता की ओर से GNCTD है। DTC केवल custodian है। DTC अपनी जमीन को बेच नहीं सकती, बिना सरकार की मंजूरी के व्यावसायिक उपयोग भी नहीं कर

कार्य सीमा: DTC  
NCR में ही नहीं, अंत  
Noida, Ghaziabad  
और पहले Lahore में  
तक सेवा देती रही है।  
4. मुख्य बिंदु - 3  
होने का क्या अर्थ है

स्थायी ड्राइवर और मैकेनिक बेरोजगार होने की कगार पर हैं। सरकार ने उन्हें अन्य विभागों में *diverted capacity* पर भेजना शुरू कर दिया है, लेकिन वेतन अभी भी DTC के घाटे से ही जा रहा है।

3. जनहित पर असर: wet-lease में ऑपरेटर लाभ देखता है। हड़ताल (जैसे 17 सितंबर 2026 की हड़ताल जिसमें राजघाट डिपो भी बंद रहा) की स्थिति में सरकार के पास अपनी कोई बैकअप बस नहीं। जनता सीधे प्रभावित होती है, जैसा कि मेट्रो में 82 लाख की रिकॉर्ड भीड़ से दिखा।

4. जवाबदेही का संकट: निजी ऑपरेटर की बस में दुर्घटना या खराब सेवा पर कानूनी जिम्मेदारी किसकी - DTC की या कंपनी की? यह अभी स्पष्ट नहीं है।

**5. निष्कर्ष** DTC की आखिरी अपनी बस का जाना एक युग का अंत है। 1948 में जो सेवा जनता की खराब निजी सेवा से बचाने के लिए शुरू हुई थी, वह आज फिर उसी निजी मॉडल पर लौट रही है।

अगर सरकार DTC की जमीन, डिपो और ब्रांड को सिर्फ किराए पर देती रही और अपनी संपत्ति नहीं जोड़ेगी, तो यह जनकल्याणकारी संस्था कागजों में ही रह जाएगी। जनता के लिए सस्ता, सुरक्षित और जवाबदेह परिवहन संविधान का अधिकार है, न कि केवल एक ठेका।

इसलिए मांग है: GNCTD इस पर श्वेत-पत्र जारी करे कि DTC के बेड़े में शून्य बस होने के बाद निगम की संपत्ति, कर्मचारियों और जनता के परिवहन अधिकार की सुरक्षा के लिए उसका रोडमैप क्या है ?

## कॉलेजों के विस्तार से हायर एजुकेशन को नई तेज़ी !

# हार्वेस्ट गोल्ड ग्लोबल रेस

## 2026' के तहत हार्वेस्ट गोल्ड ने रिकॉर्ड 1.3 लाख ब्रेड स्लाइस दान किए

हार्वेस्ट गोल्ड ने बेहतर दुनिया के निर्माण और समुदाय के पोषण की अपनी प्रतिबद्धता के तहत स्नेहधारा के साथ मिलकर ब्रेड दान की गुरुग्राह, 20-09-2026 – दिल्ली-एनसीआर के नंबर 1 ब्रेड ब्रांड और दुनिया की सबसे बड़ी बेकड फूड कंपनी थ्रुो विम्बो के तत्वावधान में विम्बो बेकरीज इंडिया का हिस्सा हार्वेस्ट गोल्ड ने आज अपने वार्षिक 'हार्वेस्ट गोल्ड ग्लोबल रेस 2026' का सफल आयोजन किया। यह इस वैश्विक आयोजन का 11वां संस्करण था। इस रेस में परिवारों, फिटनेस प्रेमियों, रिंग समूहों और सामाजिक बदलाव के लिए काम करने वाले लोगों सहित 6,513 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिससे यह क्षेत्र के सबसे प्रेरणादायक सामुदायिक फिटनेस आयोजनों में से एक बन गया।

हर पंजीकरण के बदले हार्वेस्ट गोल्ड ने समुदाय के पोषण के अपने उद्देश्य के तहत 20 स्टाइड ब्रेड दान करने का संकल्प लिया था। इस वर्ष हार्वेस्ट गोल्ड ने कुल 1.3 लाख स्टाइड ब्रेड दान किए। रेस में चार श्रेणियों शामिल थीं— 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर दौड़ और 3 किलोमीटर वॉकथॉन। इन श्रेणियों के माध्यम से विभिन्न आयु वर्ग और क्षमता वाले प्रतिभागियों को इकट्ठे शामिल होने का अवसर मिला। विम्बो बेकरीज इंडिया के प्रबंध निदेशक राज करंज सिंह ने कहा, "हार्वेस्ट गोल्ड ग्लोबल रेस दुनिया की सबसे बड़ी उद्देश्य-आधारित दौड़ है। इस रेस का हर संस्करण हमें याद दिलाता है कि जब परिवार और समुदाय किसी साझा उद्देश्य के साथ मिलकर दौड़ते हैं, तो एक दौड़ का अर्थ कहीं अधिक बड़ा हो जाता है। हमारे लिए इस रेस में उठाया गया हर कदम केवल फिटनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि मन जबूत, संतानेनशील और एक-दूसरे की परवाह करने वाले समुदायों के निर्माण में भी योगदान देता है। यही भावना हमें हर वर्ष वापस आने के लिए प्रेरित करती है। स्वास्थ्य और पौष्टिक ब्रेड उपलब्ध करने वाला हार्वेस्ट गोल्ड आगे भी पौष्टिक आहार के साथ-साथ अपने समुदायों के बीो स्वास्थ्य, स्वस्थ जीवनशैली और परस्पर देखभाल को बढ़ावा देता रहेगा।"



## माजलगांव डैम की

## ऊंचाई बढ़ाने के फैसले को लेकर मीटिंग संपन्न



# सफेद कोट, नए सपने: एमबीबीएस विद्यार्थियों की चिकित्सकीय यात्रा की शुरुआत

डॉ. विजय गर्ग, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक पंजाब



● डॉ. विजय गर्ग

चिकित्सा पेशा विज्ञान की मजबूत नींव पर टिका हुआ है। एनाटॉमी विद्यार्थियों को मानव शरीर की संरचना सिखाती है। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न तंत्रों के कार्य करने की प्रक्रिया समझाती है। बायोकैमिस्ट्री जीवन को संचालित करने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। फार्माकोलॉजी दवाओं और उनके प्रभावों के बारे में बताती है। पैथोलॉजी रोगों को समझने में सहायता करती है, जबकि माइक्रोबायोलॉजी संक्रमण पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों का अध्ययन करती है।

सफेद कोट देखने में भले ही एक साधारण परिधान लगे, लेकिन एक मेडिकल विद्यार्थी के लिए इसका अर्थ इसकी बाहरी सादगी से कहीं अधिक होता है। यह ज्ञान, जिम्मेदारी, करुणा, अनुशासन और मानव जीवन के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इसलिए व्हाइट कोट समारोह केवल नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत करने वाला एक औपचारिक आयोजन नहीं होता, बल्कि यह वह प्रतीकात्मक क्षण होता है जब युवा विद्यार्थी डॉक्टर बनने की दिशा में अपना पहला महत्वपूर्ण कदम उठाते हैं।

नए प्रवेश लेने वाले एमबीबीएस विद्यार्थियों के लिए यह समारोह अक्सर एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। कई वर्षों की तैयारी, परीक्षाओं, प्रतियर्षाओं और अनिश्चितताओं के बाद वे आखिर उस मेडिकल कॉलेज में प्रवेश करते हैं, जिसका उन्होंने सपना देखा होता है। जब सफेद कोट उनके कंधों पर डाला जाता है, तो एक नया अध्याय शुरू होता है—एक ऐसा अध्याय जो बौद्धिक जिज्ञासा, भावनात्मक परिपक्वता, लगन और गहरी जिम्मेदारी की मांग करता है।

**केवल एक कोट से कहीं अधिक**  
सफेद कोट चिकित्सा पेशे के सबसे पहचानने योग्य प्रतीकों में से एक बन चुका है। यह उस विश्वास को दर्शाता है जो समाज स्वास्थ्य-सेवा से जुड़े पेशेवरों पर करता है। अस्पताल में आने वाला मरीज अक्सर सफेद कोट को ज्ञान और आशा के प्रतीक के रूप में देखता है। इसलिए इसे केवल पेशेवर वेशभूषा का हिस्सा समझना उचित नहीं है, जबकि

एक एमबीबीएस विद्यार्थी के लिए सफेद कोट यह याद दिलाता है कि चिकित्सा शिक्षा का अंतिम उद्देश्य मानव सेवा है। हर निदान के पीछे एक इंसान होता है। हर मेडिकल रिपोर्ट के पीछे एक मरीज और उसका परिवार उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा होता है। हर चिकित्सकीय निर्णय किसी मानव जीवन को प्रभावित कर सकता है। इसलिए सफेद कोट सम्मान के साथ-साथ जिम्मेदारी भी लेकर आता है।

अर्थर्था से मेडिकल विद्यार्थी तक

मेडिकल कॉलेज तक पहुंचने की यात्रा सामान्यतः आसान नहीं होती। विद्यार्थी कई वर्षों तक प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, स्कूल की पढ़ाई के साथ गहन अध्ययन करते हैं और अपने सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन में कई प्रकार के समझौते करते हैं। परिवार भी इस सपने के लिए समय, संसाधन और भावनात्मक सहयोग देते हैं।

इसलिए एमबीबीएस में प्रवेश एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। लेकिन यह समझना भी आवश्यक है कि प्रवेश मंजिल नहीं, बल्कि एक लंबी यात्रा की शुरुआत है। प्रवेश परीक्षा तैयारी और शैक्षणिक योग्यता को परखती है। लेकिन चिकित्सा शिक्षा इससे कहीं अधिक की मांग करती है—जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझना, ज्ञान को वास्तविक परिस्थितियों में लागू करना, मरीजों के साथ संवाद करना, टीम के रूप में काम करना, अनिश्चितताओं का सामना करना और जीवनभर सीखते रहना।

व्हाइट कोट समारोह इस परिवर्तन का प्रतीक है—तैयारी से पेशेवर निर्माण की ओर एक कदम।

**सफेद कोट के पीछे विज्ञान**  
चिकित्सा पेशा विज्ञान की मजबूत नींव पर टिका हुआ है। एनाटॉमी विद्यार्थियों को मानव शरीर की संरचना सिखाती है। फिजियोलॉजी शरीर के विभिन्न तंत्रों के कार्य करने की प्रक्रिया समझाती है। बायोकैमिस्ट्री जीवन को संचालित करने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करती है। फार्माकोलॉजी दवाओं और उनके प्रभावों के बारे में बताती है। पैथोलॉजी रोगों को समझने में सहायता करती है, जबकि माइक्रोबायोलॉजी संक्रमण पैदा करने वाले सूक्ष्मजीवों का अध्ययन करती है।

इसके बाद क्लिनिकल विषय और व्यावहारिक अनुभव आते हैं, जहां सैद्धांतिक ज्ञान को वास्तविक मरीजों पर लागू करना सीखा जाता है। जानकारों की मात्रा कई बार बहुत अधिक लग सकती है। लेकिन चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य केवल हजारों तथ्यों को याद करवाना नहीं है। विद्यार्थियों को धीरे-धीरे वैज्ञानिक ढंग



से सोचने, उचित प्रश्न पूछने, प्रमाणों को समझने और तर्कसंगत निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने होती है। चिकित्सा विज्ञान निरंतर बदल रहा है। नई बीमारियां सामने आती हैं, उपचार के तरीके बेहतर होते हैं, निदान तकनीकें विकसित होती हैं और वैज्ञानिक समझ में वृद्धि होती है। इसलिए भविष्य का डॉक्टर केवल मेडिकल कॉलेज में सीखी जानकारी पर निर्भर नहीं रह सकता। एक अच्छे डॉक्टर को जीवनभर सीखते रहना होगा।

**केवल बीमारी नहीं, मरीज को देखना सीखें**

चिकित्सा शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण तत्व यह है कि मरीज केवल एक निदान नहीं होता। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति केवल डायबिटीज का मरीज नहीं है। कैन्सर से पीड़ित व्यक्ति केवल कैन्सर का केस नहीं है। बुखार से पीड़ित बच्चा, संस लेने में परेशानी वाला बुजुर्ग या चिंता का सामना कर रहा युवा—हर व्यक्ति की अपनी कहानी, पारिवारिक पृष्ठभूमि और भावनात्मक अनुभव होता है।

इसलिए मेडिकल विद्यार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने की कला सीखनी चाहिए।

कई बार मरीज अपने लक्षण स्पष्ट रूप से नहीं बता पाता। कभी डर उसे प्रश्न पूछने से रोक सकता है। कभी परिवार को चिकित्सकीय जानकारी के साथ-साथ विश्वास और हौसले की भी आवश्यकता होती है। मरीज को धैर्यपूर्वक सुनने की डॉक्टर की क्षमता कई बार प्रयोगशाला रिपोर्ट की व्याख्या करने की क्षमता जितनी ही महत्वपूर्ण हो सकती है।

**योग्यता के साथ करुणा**

चिकित्सकीय योग्यता और करुणा का विकास साथ-साथ होना चाहिए।

वैज्ञानिक ज्ञान डॉक्टर को बीमारी समझने में मदद करता है, लेकिन करुणा उसे पीड़ित व्यक्ति को समझने में सहायता करती है। तकनीकी कौशल किसी प्रक्रिया को सही ढंग से करने में मदद कर सकता है, लेकिन सहानुभूति मरीज को सम्मान और सुरक्षा का अनुभव करा सकती है। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को दृढ़ता से ही दोनों गुण विकसित करने चाहिए।

उन्हें मरीजों से विनम्रता से बात करना, निजता का सम्मान करना, गोपनीय जानकारी की रक्षा करना और बिना आवश्यकता किसी के बारे में निर्णय न करना सीखना चाहिए। हर मरीज, उसकी आयु, सामाजिक स्थिति, आर्थिक पृष्ठभूमि या शिक्षा के स्तर से परे, सम्मान का अधिकारी है। एक सफल चिकित्सकीय करियर केवल परीक्षाओं और डिग्रियों से नहीं बनता। यह विश्वास से बनता है।

**आगे आने वाली चुनौतियां**  
मेडिकल शिक्षा की यात्रा में कठिन क्षण अवश्य आएंगे। कठिन परीक्षाएं, विशाल पाठ्यक्रम, लंबी क्लिनिकल ड्यूटी और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। **कभी-कभी आत्मविश्वास में भी कमी आ सकती है।** जो विद्यार्थी स्कूल में हमेशा अच्छा प्रदर्शन करते रहे हैं, वे महसूस कर सकते हैं कि मेडिकल शिक्षा स्कूली पढ़ाई से बिल्कुल अलग है। ज्ञान की मात्रा और जटिलता के कारण



## संपादकीय

चिंतन -मनन



अध्ययन के नए तरीके अपनाने पड़ सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों को शुरुआत में पाठ्यक्रम की गति के साथ तालमेल बैठाने में कठिनाई हो सकती है। इन कठिनाइयों को असफलता नहीं समझना चाहिए। ये पेशेवर विकास का हिस्सा हैं।

मेडिकल विद्यार्थियों के लिए अनुशासन, समय का उचित उपयोग और निरंतरता बहुत आवश्यक है। नियमित अध्ययन अंतिम समय की तैयारी पर पूरी तरह निर्भर रहने की तुलना में अधिक लाभदायक होता है। नींद, पोषण, शारीरिक सक्रियता और स्वस्थ संबंध भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लंबे समय तक प्रभावी ढंग से सीखने के लिए स्वस्थ मन और शरीर की आवश्यकता होती है।

**मार्गदर्शकों का महत्व**  
**शिक्षक भविष्य के डॉक्टरों को आकार देने में विशेष भूमिका निभाते हैं।**

एक मेडिकल शिक्षक केवल एनाटॉमी, पैथोलॉजी या क्लिनिकल प्रक्रियाएं नहीं समझाता। अपने दैनिक व्यवहार के माध्यम से शिक्षक वह भी दिखाते हैं कि मरीजों से कैसे बात करनी है, अनिश्चितता से कैसे निपटना है, गलतियों को कैसे स्वीकार करना है और पेशेवर व्यवहार कैसे करना है।

विद्यार्थी अक्सर अपने शिक्षकों का व्यवहार कई वर्षों बाद भी याद रखते हैं, भले ही वे हर व्याख्यान की बातें भूल जाएं।

इसलिए मार्गदर्शन केवल यह निर्धारित नहीं करता कि विद्यार्थी क्या जानते हैं, बल्कि यह भी प्रभावित कर सकता है कि वे भविष्य में किस प्रकार के डॉक्टर बनें।

सौनियर डॉक्टर, रेजिडेंट, नर्स और अन्य स्वास्थ्य-सेवा पेशेवर भी महत्वपूर्ण सीख दे सकते हैं। चिकित्सा सेवा एक टीम-आधारित पेशा है और विद्यार्थियों को शुरुआत से ही स्वास्थ्य-सेवा टीम के प्रत्येक सदस्य के योगदान का सम्मान करना सीखना चाहिए।

**तकनीक और भविष्य का डॉक्टर**

आज के मेडिकल विद्यार्थी तेजी से बदलती तकनीक के दौर में चिकित्सा पेशे में प्रवेश कर रहे हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, टेलीमेडिसिन, आधुनिक इमेजिंग,

रोबोटिक सर्जरी, पहनने योग्य उपकरण और डेटा-आधारित चिकित्सा स्वास्थ्य-सेवा को बदल रहे हैं।

ये तकनीकें निदान, उपचार और मरीजों की निगरानी को बेहतर बनाने में सहायता कर सकती हैं। लेकिन तकनीक को डॉक्टर और मरीज के बीच मानवीय संबंध का स्थान नहीं लेना चाहिए।

कंप्यूटर बहुत बड़ी मात्रा में जानकारी को संसाधित कर सकता है, लेकिन मरीज को अभी भी ऐसे डॉक्टर की आवश्यकता होती है जो संवेदनशीलता के साथ बीमारी समझा सके, उसके डर को समझ सके और उसे विश्वास दे सके।

इसलिए भविष्य के डॉक्टर के लिए तकनीकी समझ के साथ मानवीय संवेदनशीलता भी आवश्यक होगी।

**चिकित्सा पेशे के केंद्र में नैतिकता**  
चिकित्सकीय ज्ञान डॉक्टरों को बहुत बड़ी जिम्मेदारी देता है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ नैतिकता भी आव्यक है।

विद्यार्थियों को मरीज की सहमति, गोपनीयता, मरीज की स्वायत्तता, पेशेवर ईमानदारी और मानव गरिमा के सम्मान जैसे सिद्धांतों को समझना चाहिए। उन्हें यह सीखना चाहिए कि मरीज का हित पेशेवर अभ्यास के केंद्र में रहना चाहिए।

चिकित्सकीय गलतियाँ, कठिन निर्णय और नैतिक दुविधाएं करियर के दौरान सामने आ सकती हैं। डॉक्टरों में अनिश्चितता को स्वीकार करने, आवश्यकता पड़ने पर सलाह लेने और मरीज की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का साहस होना चाहिए।

इसलिए सफेद कोट केवल विशेषज्ञता का नहीं, बल्कि ईमानदारी का भी प्रतीक होना चाहिए।

**परिवारों की भूमिका**  
व्हाइट कोट समारोह माता-पिता और परिवारों के लिए भी खुशी और गर्व का अवसर होता है।

कई सफल मेडिकल विद्यार्थियों के पीछे ऐसे माता-पिता होते हैं जिन्होंने उदर उरपर उठाकर उनका हौसला बढ़ाया, शिक्षकों ने मार्गदर्शन दिया और मित्रों ने सहयोग किया। परिवारों ने लंबी तैयारियों, परीक्षाओं के दबाव और निराशा के क्षणों को भी देखा होता

है। जब कोई विद्यार्थी आखिरकार सफेद कोट पहनता है, तो यह उपलब्धि केवल उसकी नहीं रहती, बल्कि पूरे सहयोगी तंत्र की साझा खुशी बन जाती है।

माता-पिता के लिए यह भावुक क्षण होता है, क्योंकि वे अपने बच्चे को केवल विद्यार्थी के रूप में नहीं, बल्कि सेवा और जिम्मेदारी से जुड़े एक महत्वपूर्ण पेशे में प्रवेश करते हुए देखते हैं।

**समाज से एक वादा**  
चिकित्सा उन पेशों में से एक है जिसमें व्यक्ति का ज्ञान सीधे दूसरों के जीवन को प्रभावित कर सकता है। समाज डॉक्टरों पर बहुत विश्वास करता है। इसलिए सफेद कोट को एक मौन वादे के रूप में भी देखा जा सकता है—लगातार सीखते रहने का, मरीजों की गरिमा का सम्मान करने का, ईमानदारी से कार्य करने का, वैज्ञानिक प्रमाणों का सम्मान करने का और मरीज के हित को पेशेवर जिम्मेदारी के केंद्र में रखने का।

इसका अर्थ यह नहीं कि डॉक्टरों से गलती रहित होने की अपेक्षा की जाती है। डॉक्टर भी इंसान हैं और उनसे गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन पेशेवर उत्कृष्टता के लिए अपनी गलतियों को पहचानने, उनसे सीखने और निरंतर सुधार करने की इच्छा आवश्यक है।

डिग्री से परे सपने  
हर नए एमबीबीएस विद्यार्थी का अपना अलग सपना होता है। कोई सर्जन, कोई फिजिशियन, कोई बाल रोग विशेषज्ञ, कोई रेडियोलॉजिस्ट, कोई मनोचिकित्सक और कोई शोधकर्ता बनना चाहता है। कुछ विद्यार्थी ग्रामीण स्वास्थ्य-सेवा, जनस्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा या वैश्विक स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। कुछ कायामेडिकल अनुसंधान या नई चिकित्सा तकनीकों के विकास में योगदान दे सकते हैं।

एमबीबीएस की डिग्री अनेक दरवाजे खोलती है, लेकिन प्रत्येक विद्यार्थी अपनी रुचि, क्षमता, अवसरों और अनुभवों के आधार पर अपनी दिशा चुनना।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि

## पेंगुइन की दक्षिणपंथी बेशर्मी

आलेख : सुधन्वा देशपांडे, रंगमंच अभिनेता, निर्देशक, संपादक और लेखक, जन नाट्य मंच से जुड़े हैं  
अनुवाद : संजय पराते, अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष

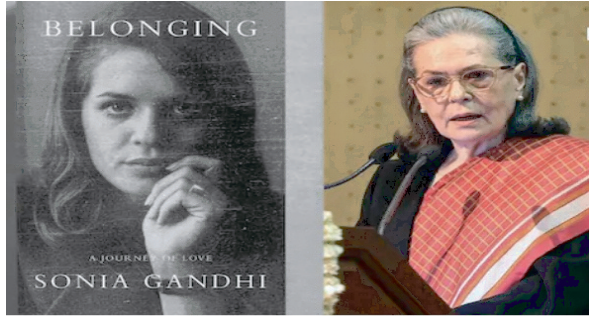
पेंगुइन रैंडम हाउस (पीआरएच) दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। पीआरएच का एक मुद्रक अमेरिका में सोनिया गांधी की यादों की किताब प्रकाशित कर रहा है, जिसकी शुरुआती प्रिंट संख्या 100,000 है। हालांकि, पेंगुइन इंडिया ने भारत में यादों की किताब प्रकाशित करने से मना कर दिया है। यह असधारण बात है। अगर इस पर कोई विवाद भी नहीं होता, तो भी यह किताब बहुत बड़ी व्यावसायिक सफलता पाने वाली थी। पेंगुइन का इसे प्रकाशित करने से पीछे हटना व्यावसायिक रूप से बेतुकी बात थी। सोनिया गांधी एक बड़ी भारतीय राजनैतिक हस्ती हैं, लेकिन वे अपने सार्वजनिक बयानों में तीखी और भड़काऊ बातें करने के लिए नहीं जानी जाती हैं। पेंगुइन का 'कानूनी' सलाह के पीछे छिपना बेईमानी है। यह बिल्कुल सफाई है कि प्रकाशक ने श्रीमती गांधी की यादों पर कैची चलाने की कोशिश की थी, और लेखिका ने झुकने से मना कर दिया।

यह पहली बार नहीं है, जब पेंगुइन ने ऐसा किया है। हाल ही में, इस प्रकाशक ने अमेरिकी पत्रकार जो सैको की श्रॉफिक बुक, 'द वनस्पट फ्यूचर रायट' को प्रकाशित करने से हाथ खींच लिया थे। यह किताब ने सामाजिक न्याय के पीछे छिपाने की कोशिश की थी, और उस चुनाव में भाजपा की सफलता में इस दोष की भी

एक अहम भूमिका थी। फिर एक पूर्व सेना प्रमुख की किताब का मामला है, जिसे भी पेंगुइन प्रकाशित करने वाला था, लेकिन उससे पीछे हट गया।

इनमें से दो मामलों में, अच्छी बात यह है कि किताबों को दूसरे प्रकाशक मिल गए हैं। श्रीमती गांधी की यादें हार्पर कॉलिन्स, जो एक और बड़ा प्रकाशक है, प्रकाशित कर रहा है, और जो सैको की किताब लेफ्टवर्ड बुक्स प्रकाशित कर रहा है। यहाँ एक परेशान करने वाली प्रवृत्ति साफ़-साफ़ दिख रही है—पेंगुइन उन किताबों को प्रकाशित नहीं कर रहा है, जो किसी भी रूप में भाजपा, आरएसएस, मौजूदा सरकार और प्रधानमंत्री की आलोचना करती हैं। यह प्रवृत्ति आई 2014 के चुनावों में भाजपा के सत्ता में आने से पहले ही शुरू हो गई थी। उस साल की शुरुआत में, पेंगुइन ने इतिहासकार वेंडी डॉनिगर की एक किताब वापस ले ली थी और उसे हटा दिया था, जब आरएसएस के एक खंडी कार्यक्रमों दीनानाथ बत्रा ने उस पर कानूनी मामला दायर किया था। (श्री बत्रा की मृत्यु को अब दो साल से ज्यादा हो गए हैं, इसलिए पेंगुइन अपने हाल के कारनामों के लिए उन्हें दोषी भी नहीं ठहरा सकता।) प्रो. डॉनिगर की किताब को बाद में स्पीकिंग टाइगर ने बिना किसी बदलाव के प्रकाशित किया।

सोनिया गांधी की किताब को लेकर विवाद के बाद, दूसरे लेखकों ने भी पेंगुइन के साथ अपने अनुभव सार्वजनिक किए हैं। उनमें से एक हैं धीरेन्द्र के. झा, जिन्होंने पेंगुइन के साथ दो किताबों के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। उनकी पहली किताब, 'गांधीज असेसिन' (गांधी की शहादत) 2022 में प्रकाशित हुई, लेकिन दूसरी किताब, जो दिवंगत आरएसएस प्रमुख एम.एस. गोलवलकर की जीवनी थी, प्रकाशक का साथ खटाई में पड़ गई। पेंगुइन ने



नाजी शासन के सभी संदर्भ हटाने पर जोर दिया, जिसके गोलवलकर जाने-माने प्रशंसक थे; गोलवलकर की अपनी 1939 की किताब 'वी और अवर नेशनहुड डिफाईंड' के आलोचनात्मक संदर्भ; और 1942 के आरएसएस शिविर के विवरण, जिसके बारे में लेखक के पास दस्तावेजी सबूत थे। लेखक ने ये बदलाव करने से मना कर दिया, और बाद में यह किताब साइमन एंड शुस्टर इंडिया ने प्रकाशित की।

हिंदू दक्षिणपंथ की आलोचना करने वाली किताबों को दबाने और संसर करने के मामले में पेंगुइन सबसे बड़ा अपराधी है, वहीं दूसरे भी कभी-कभार पीछे हट जाते हैं। उदाहरण के लिए, 16 मई, 2014 को, जिस दिन लोकसभा चुनाव के नतीजे आने वाले थे और जिस दिन भाजपा सत्ता में आई, ओरिएंट ब्लैकस्वान ने गुजरत में सांप्रदायिक और यौनिक हिंसा पर एक किताब को 'अलग' कर दिया। उस साल की शुरुआत में वेंडी डॉनिगर की किताब की तरह, इस मामले में भी दोषी आरएसएस के दीनानाथ बत्रा थे, जिन्होंने प्रकाशक पर मुकदमा करने की धमकी दी थी।

इनमें से कई मामलों में, प्रकाशन 'फैक्ट-चेकिंग' और 'एडिटोरियल ड्यूटिलिजेंस' (संपादकीय उचित परिश्रम) के तर्क के पीछे छिप गया है। ये तर्क मामलों को उलझाने की कोशिश हैं। कोई भी प्रकाशक, जो खुद को गंभीरता से लेता है, वह एडिटोरियल ड्यूटिलिजेंस के अपने

अंदरूनी मानकों का पालन करता है और वास्तविक घटनाओं (नॉन-फ़िक्शन) के मामले में, फैक्ट-चेकिंग करता है। बहरहाल, जैसा कि गोलवलकर की जीवनी और सोनिया गांधी की यादों के उदाहरण दिखाते हैं, पेंगुइन ने बार-बार ड्यूटिलिजेंस और संसरण के बीच की कलाने को पूरी तरह से पार किया है। लेखक से गोलवलकर पर किताब से नाजी शासन के संदर्भ हटाने के लिए कहने का कोई कारण नहीं हो सकता, जब यह एक जानी-मानी बात है, जिसका जिक्र पहले ही कई लेखकों ने किया है, कि गोलवलकर ने नाजियों और यहूदियों को खत्म करने के उनके अभियान के बारे में तारीफ करते हुए लिखा था। इसलिए इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता है कि पेंगुइन के शीर्ष पर कोई या तो बहुत ज्यादा डरपोक व्यक्ति है, या दक्षिणपंथी कट्टर व्यक्ति है—या दोनों।

कुछ लोग तर्क देते हैं कि पेंगुइन जैसे प्रकाशकों के पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है, क्योंकि वे बहुत बड़े प्रकाशक हैं, और अपने कर्मचारियों की भलाई और नौकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है। यह एक मजेदार तर्क है। वास्तविकता यह है कि लेफ्टवर्ड जैसे छोटे प्रकाशकों के पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है। बड़े प्रकाशकों के पास न सिर्फ मोटी बजट होती है और कानूनी संसाधनों तक उनकी पहुँच होती है, बल्कि बाजार और समाज में उनका रुतबा और ख़्वाब भी होती है। अगर

उन पर हमला होता है, तो कई जाने-माने लेखक, नागरिक, राय बनाने वाले उनके बचाव में आगे आएंगे। छोटे प्रकाशकों के पास ऐसे संसाधन बहुत कम होते हैं। अगर सरकार किसी छोटे प्रकाशक के पीछे पड़ने का फ़ैसला करती है, तो उस प्रकाशन के बंद होने तक का ख़तरा हो सकता है।

छोटे प्रकाशकों के पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है, और फिर भी, वे ही ज्यादा हिम्मत दिखाने वाले लगते हैं। जब कोई पेंगुइन आलोचना करने वाली आवाजों को दबाने की कोशिश करता है, तो इसके कई दीर्घकालीन ख़तरनाक नतीजे होते हैं। इससे संसरण का विचार सामान्य लगता है। इससे यह बात और मजबूत होती है कि किताबें 'ख़तरनाक' होती हैं। इससे डर का माहौल और बढ़ता है। इससे दूसरों को जोखिम उठाने से रोका जाता है।

प्रकाशन व्यवसाय कई मायनों में दूसरे व्यवसाय से अलग होता है। इसमें सिर्फ़ सामान बनाना और मुनाफ़ा कमाना शामिल नहीं होता। एक प्रकाशक जो 'सामान' बनाता है, वह किताबें हैं, और किताबें विचारों की वाहक होती हैं। विचार कोई 'उत्पाद' नहीं हैं। वे समाज में सभी सामाजिक और क़ृत्या का आधार बनते हैं। किसी भी स्वस्थ समाज के आगे बढ़ने के लिए, आपको अलग-अलग तरह के विचारों को प्रसारित करने की जरूरत होती है। इनमें ऐसे विचार भी शामिल हैं, जो मौजूदा हालात को चुनौती देते हैं। कोई भी समाज तब तक तरक्की नहीं कर सकता, जब तक चुनौती देने वाले विचार, अलग-अलग तरह के विचार स्वतंत्रता से प्रसारित न हों।

*विचारों की स्वतंत्रता को दबाने की अपने हाल की कारगुजारियों से, पेंगुइन ने प्रकाशकीय पारिस्थितिकी तंत्र और लोकतंत्र के विचार को ही नुकसान पहुंचाया है।*

## धरती का अदृश्य विद्युत क्षेत्र और उड़ती मकड़ियाँ

डॉ. विजय गर्ग, परिवहन विशेष समाचार पत्र दैनिक पंजाब

हमारे आसपास की हवा, विशेषकर साफ और शांत दिनों में, विद्युत की दृष्टि से बिल्कुल शांत दिखाई दे सकती है। लेकिन वास्तव में पृथ्वी का वायुमंडल एक सूक्ष्म विद्युत क्षेत्र से भरा हुआ है। हालांकि, यह क्षेत्र को जोड़ने वाली एक विशाल विद्युत प्रणाली का हिस्सा है।

पृथ्वी की सतह के निकट, साफ मौसम में वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्र प्रति मीटर होता है। हालांकि, यह स्थान, मौसम और वायुमंडलीय परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। गरज-चमक वाले तूफ़ानों और अन्य अतिरिक्त मौसम के दौरान यह विद्युत क्षेत्र काफी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। पौधे, इमारतें और अन्य वस्तुएँ भी अपने आसपास के विद्युत क्षेत्र में स्थानीय परिवर्तन उत्पन्न कर सकती हैं। आश्चर्यचकन बात यह है कि कुछ मकड़ियाँ इन अत्यंत कमजोर विद्युत संकेतों को महसूस करने में सक्षम दिखाई देती हैं। छोटी मकड़ियों के लिए वायुमंडल केवल हवा का माध्यम नहीं है, बल्कि यह उन्हें यह संकेत भी दे सकता है कि फैलने या यात्रा करने के लिए परिस्थितियाँ कब अनुकूल हैं। नवजात मकड़ियाँ और कुछ अन्य छोटे जीव 'बैलूनिंग' नामक व्यवहार का उपयोग करते हैं। इसमें वे रेशम के अत्यंत महीन धागे छोड़ती हैं और हवा के साथ दूर तक चली जाती हैं। इस प्रकार वे नए क्षेत्रों तक पहुँचकर वहाँ अपना आवास बना सकते हैं।

लंबे समय तक यह माना जाता रहा कि मकड़ियों की इस अद्भुत यात्रा का मुख्य कारण हवा है। लेकिन शोध से पता चला है कि विद्युत क्षेत्र भी इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा

सकते हैं। मकड़ियों की टाँगों और शरीर के महीन बाल स्थैतिक विद्युत बलों के प्रति प्रतिक्रिया कर सकते हैं और उन्हें आसपास के विद्युत वातावरण के बारे में जानकारी दे सकते हैं।

जब मकड़ी को परिस्थितियों अनुकूल महसूस होती है, तो वह अपना उदर उरपर उठाकर उसका हौसला छोड़ सकती है। यह रेशम आसपास के विद्युत क्षेत्र के साथ परस्पर क्रिया कर सकता है और स्थैतिक विद्युत बलों से प्रभावित हो सकता है। इससे मकड़ी को कमजोर हवा की दिशा में भी हवा में उठने या उड़ान शुरू करने में सहायता मिल सकती है। इससे संकेत मिलता है कि 'बैलूनिंग' केवल हवा के कारण होने वाली निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें मकड़ी, उसके रेशम, वायुमंडल और पृथ्वी के विद्युत क्षेत्र के बीच एक जटिल संबंध हो सकता है।

यह घटना तब और भी रोचक हो जाती है जब हम इसके सूक्ष्म स्तर को समझते हैं। लगभग 120 वोल्ट प्रति मीटर का विद्युत क्षेत्र होने का अर्थ यह नहीं है कि मकड़ी को 120 वोल्ट का झटका लगता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यह बताती है कि दूरी के साथ विद्युत विभव कितनी तेजी से बदलता है। मकड़ी जैसे अत्यंत छोटे जीव के स्तर पर ये सूक्ष्म स्थैतिक विद्युत बल भी जैविक रूप से महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

पौधे भी इस वातावरण को प्रभावित कर सकते हैं। उनकी पत्तियाँ और सतहें अपने आसपास के विद्युत क्षेत्र को बदल सकती हैं और छोटी-छोटी विविधताएँ उत्पन्न कर सकती हैं, जिन्हें कुछ कीट और अन्य जीव महसूस कर सकते हैं। अतिरिक्त मौसम के दौरान वायुमंडल की विद्युत स्थिति में भी काफी परिवर्तन हो सकता है, जिससे शांत दिनों की तुलना में जीवों के लिए एक अलग भौतिक वातावरण बन जाता है।

मकड़ियों की विद्युत संकेतों के प्रति प्रतिक्रिया जीव विज्ञान के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को दर्शाती है—जीव

ऐसे पर्यावरणीय संकेतों को भी महसूस कर सकते हैं, जिन्हें मनुष्य सीधे अनुभव नहीं कर सकता। हम मुख्य रूप से दृष्टि, श्रवण, स्पर्श और गंध जैसी इंद्रियों पर निर्भर करते हैं, लेकिन अनेक जीव चुंबकीय क्षेत्रों, विद्युत क्षेत्रों, कंपन, पराबैंगनी प्रकाश और अन्य सूक्ष्म भौतिक संकेतों को महसूस करने की क्षमता रखते हैं।

मकड़ियों की 'बैलूनिंग' यह भी दर्शाती है कि भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान एक-दूसरे से कितनी गहराई से जुड़े हुए हैं। एक ऐसा व्यवहार जो हमें लगभग जादुई लगता है—एक छोटी-सी मकड़ी का हवा में तैरना—वास्तव में वायुमैतिकीय बलों, स्थैतिक विद्युत, रेशम के गुणों और पर्यावरणीय परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव से समझा जा सकता है।

विभिन्न मकड़ी प्रजातियाँ विद्युत क्षेत्रों को किस प्रकार महसूस करती हैं और प्राकृतिक परिस्थितियों में बिजली उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, इसके बारे में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि वायुमंडल केवल जीवों को घेरने वाला खाली स्थान नहीं है। यह दबाव, तापमान, नमी, आयनों, विद्युत, चुंबकीय प्रभावों और विद्युत क्षेत्रों से युक्त एक शक्तिशील भौतिक संसार है।

इसलिए पृथ्वी की अदृश्य बिजली भी उस प्राकृतिक संसार का हिस्सा है, जिसमें अनगिनत जीव प्रतिदिन जीवन व्यतीत करते हैं। जहाँ मनुष्य सामान्यतः इस विद्युत वातावरण से गुजरते हुए इसे महसूस नहीं करते, वहीं छोटी मकड़ियाँ इसे उन संकेतों में से एक के रूप में उपयोग कर सकती हैं, जो उन्हें बताते हैं कि कब और कैसे उड़ान भरनी है।

साफ आकाश हमें खाली दिखाई दे सकता है, लेकिन हमारे ऊपर तथा प्रत्येक पत्ती, पौधे और जीव के आसपास एक अदृश्य विद्युत संसार मौजूद है।







# मतदाता सूची का पुनरीक्षण: सुधार जरूरी, लेकिन पारदर्शिता उससे भी जरूरी

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर ने एक बार फिर देश के चुनावी तंत्र में मतदाता सूची की शुद्धता और विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पूर्व उपप्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पूर्व दिल्ली उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और कई वरिष्ठ अधिकारियों समेत अनेक चर्चित लोगों को नोटिस दिए जाने की खबर सामने आई है। पहली नजर में यह खबर इसलिए चौंकाती है क्योंकि जब सार्वजनिक जीवन से जुड़े इतने प्रतिष्ठित लोगों के रिकॉर्ड में विसंगतियां मिल रही हैं, तो सामान्य नागरिकों के पुराने और वर्तमान मतदाता रिकॉर्ड की स्थिति को लेकर भी सवाल उठना स्वाभाविक है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए सबसे पहले यह स्पष्ट करना जरूरी है कि एसआईआर नोटिस मिलना मतदाता सूची से नाम हट जाने के बराबर नहीं है। चुनाव अधिकारियों के अनुसार नोटिस उन मामलों में दिए जा रहे हैं जहां वर्तमान मतदाता विवरण को 2002 की पिछली मतदाता सूची से जोड़ा

राज्य को पिछली एसआईआर सूची के विवरण का प्रावधान रखा गया है। समस्या यहां से शुरू होती है कि दो दशक से भी अधिक पुराने रिकॉर्ड को वर्तमान नागरिक की पहचान और पात्रता से जोड़ना अपने आप में आसान काम नहीं है। वर्ष 2002 से अब तक लाखों लोगों के पते बदले हैं, परिवारों की संरचना बदली है, नामों की वर्तनी बदली है और अनेक परिवार एक शहर से दूसरे शहर चले गए हैं। पुराने रिकॉर्ड में नाम की छोटी सी वर्तनी भिन्नता भी आज की डिजिटल मिलान प्रक्रिया में मिसमैच बन सकती है। इसीलिए 33.13 लाख लोगों का आंकड़ा अपने आप में न तो यह सिद्ध करता है कि इतने लोग अपात्र हैं और न ही यह कि इतने लोगों के रिकॉर्ड गलत हैं। यह संख्या मुख्यतः उन लोगों की है जिनके मामलों में आगे सत्यापन की जरूरत महसूस की गई है। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 97 लाख मतदाता ड्राफ्ट सूची में हैं और 33.13 लाख मतदाताओं को विसंगतियों के आधार पर नोटिस के लिए चिन्हित किया गया है। यहां चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी पारदर्शिता की है। किसी नागरिक को नोटिस दिया जाता है तो उसे यह स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि समस्या क्या

है ? नाम का अंतर है, उम्र संबंधी विसंगति है, पते का सवाल है, पुराने रिकॉर्ड से मैपिंग नहीं हुई है या किसी अन्य कारण से सत्यापन आवश्यक है। हाल में इस प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका पहुंची है, जिसमें नोटिस पाने वाले मतदाताओं के नाम और नोटिस के कारणों को सार्वजनिक करने की मांग की गई है। यह मांग बताती है कि इतने बड़े पैमाने की चुनावी प्रक्रिया में केवल प्रशासनिक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है; नागरिकों को यह भी पता होना चाहिए कि उनके रिकॉर्ड पर सवाल क्यों उठा है।

चुनाव प्रक्रिया में नोटिस देना जांच का साधन होना चाहिए, सजा का नहीं। किसी व्यक्ति के रिकॉर्ड में गलती मिलना और उसके मतदान के अधिकार पर अंतिम निर्णय लेना दो अलग-अलग चरण हैं। इसलिए प्रत्येक मतदाता को पर्याप्त समय, स्पष्ट सूचना, सुनवाई का अवसर और दस्तावेज प्रस्तुत करने की सरल व्यवस्था मिलनी चाहिए। इस मामले का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जब प्रतिष्ठित और सर्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के रिकॉर्ड भी सत्यापन के दायरे में आ रहे हैं, तो इससे

हो, लेकिन तकनीकी रमिसमैचर को अंतिम निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता। एसआईआर की सफलता इस बात से तय नहीं होगी कि कितने नाम हटाए गए या कितने नोटिस जारी किए गए। उसकी असली कसौटी यह होगी कि कितने वास्तविक मतदाताओं के नाम सुरक्षित रहे, कितनी गलत प्रविष्टियां सुधरीं और कितने नागरिकों को बिना अनावश्यक परेशानी के अपनी पात्रता साबित करने का अवसर मिला। लोकतंत्र में मतदाता सूची महज नामों का सरकारी रजिस्टर नहीं है। यह नागरिक और राज्य के बीच उस अधिकार का दस्तावेज है जिसके आधार पर नागरिक शासन चुनता है। इसलिए सूची को शुद्ध करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि यह काम ऐसी पारदर्शिता और सावधानी से हो जिससे किसी पात्र नागरिक का मताधिकार अनजाने में प्रभावित न हो। दिल्ली का एसआईआर इसी संतुलन की परीक्षा है। साफ मतदाता सूची भी चाहिए और हर पात्र नागरिक का मतदान अधिकार भी सुरक्षित रहना चाहिए। दोनों में से किसी एक को कमजोर करके चुनावी व्यवस्था मजबूत नहीं हो सकती। लेखक वरिष्ठ पत्रकार, चिंतक, राजनीतिक विचारक है।

## सरायकेला मे पांच साल तक ड्यूटी से अनुपस्थित शिक्षक की सेवा समाप्त

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड झारखंड

रांची, सरायकेला-खरसावां जिले के सरायकेला प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कुनामार्चा के सहायक शिक्षक राजेश रेशन हेम्ब्रम को लगातार 5 वर्षों से अधिक समय तक अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।

जाच में पाया गया कि संबंधित शिक्षक 1 मार्च 2020 से लगातार विद्यालय से अनधिकृत रूप से गायब थे और उपस्थिति पंजी में भी हस्ताक्षर नहीं किया था।

निलंबन अवधि के दौरान कार्यालय एवं निर्धारित मुख्यालय में योगदान देने के निर्देशों का भी अनुपालन नहीं किया गया। शिक्षक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण व चिकित्सकीय दस्तावेजों की समीक्षा के बाद विभाग ने उन्हें सांख्यिकीय और अंतर्दीप्त कर दिया गया है।

प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना 5 वर्ष से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने को गंभीर कदाचार माना गया। इसके आधार पर झारखंड सेवा

## उठो, जगों लक्ष्य को प्राप्त होने तक मत रुको, यह भारत का पुनर्निर्माण संदेश : निवेदिता रघुनाथ भिड़े

आईआईटी(आईएसएम) धनबाद मे शताब्दी वर्ष व्याख्यान कार्यक्रम कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची, आईआईटी आईएसएम धनबाद में मंगलवार को शताब्दी व्याख्यान का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित तथा विवेकानंद रॉक मेमोरियल एवं विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी की अखिल भारतीय अध्यक्ष निवेदिता रघुनाथ भिड़े ने छात्रों से संवाद किया. उन्होंने "उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको, युवाओं के लिए एक संदेश" विषय पर अपने विचार साझा किए.

संस्थान के शताब्दी वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग ने किया. कार्यक्रम का शुरुआत विभाग के प्रोफेसर और समन्वयक प्रो. रवि कुमार गंगवार ने निवेदिता भिड़े के परिचय से की. उन्होंने शिक्षा, सामाजिक सेवा और विवेकानंद केंद्र से जुड़े उनके लंबे योगदान पर प्रकाश डाला.

आईआईटी (आईएसएम) के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार किसी एक दौर तक सीमित नहीं हैं. बदलते समय में भी उनके विचार समाज और युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार हासिल करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास के साथ मानवता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना होना चाहिए.

निदेशक ने छात्रों से स्वामी विवेकानंद के विचारों को केवल याद करने के बजाय उनके मूल भाव को समझकर जीवन में उतारने का आह्वान किया. उनके



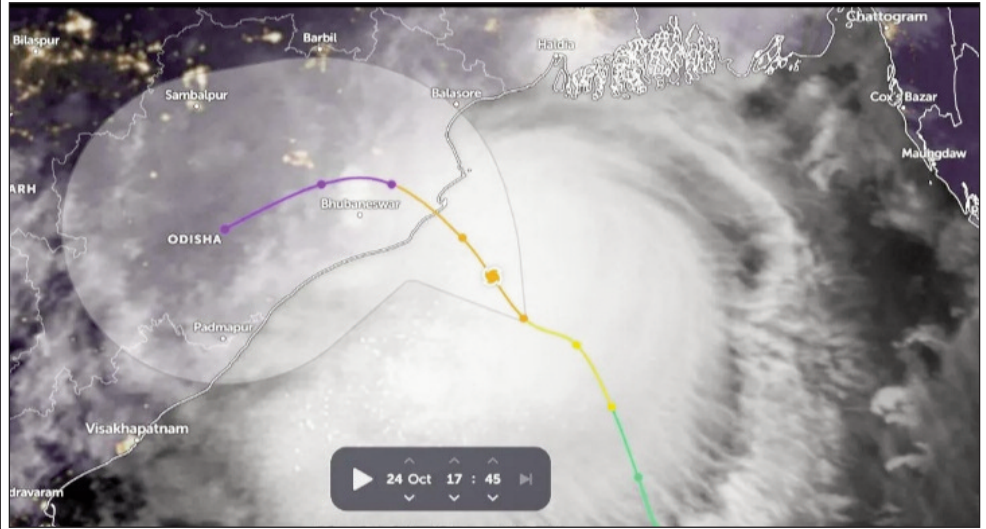
अनुसार, शिक्षा तभी सार्थक है, जब वह व्यक्ति के साथ-साथ समाज के विकास में भी योगदान दे. अपने संबोधन में पद्मश्री निवेदिता भिड़े ने स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध आह्वान "उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको" की व्यापक व्याख्या की. उन्होंने कहा कि यह केवल व्यक्तिगत सफलता

हासिल करने की प्रेरणा नहीं है, बल्कि भारत के पुनरुत्थान और राष्ट्र निर्माण का संदेश भी है. उन्होंने कहा कि भारत और पश्चिमी देशों की यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद ने दोनों समाजों को करीब से देखा और भारत की विशिष्ट ताकत को पहचाना. भारत की विविधता को इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी बड़ी शक्ति बताते

हुए उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा अलग-अलग विचारों और संस्कृतियों को स्वीकार करने की रही है. "उठो" के अर्थ को समझाते हुए उन्होंने युवाओं से आलस्य, जड़ता, ईर्ष्या और पहल करने की कमी से बाहर निकलने की अपील की. वहीं "जागो" का अर्थ केवल नींद से जागना नहीं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य

और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना बताया. निवेदिता ने कहा कि भारत की प्रगति को केवल आर्थिक विकास, मजबूत रक्षा व्यवस्था विज्ञान एवं तकनीक की उपलब्धियों से नहीं मापा जा सकता. विकास के साथ देश की मूल भावना, मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी जीवन का हिस्सा बनाना

## अवसाद और गहरा होकर डीप डिप्रेशन में बदलेगा, 23 की रात से 24 की सुबह के बीच लैंडफॉल की संभावना!



मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भूबनेश्वर : पश्चिम-मध्य और उससे सटे उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना डिप्रेशन पिछले 6 घंटों के दौरान 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा है। वर्तमान में यह ओडिशा के गोपालपुर से लगभग 200 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व, पुरी से 210 किलोमीटर दक्षिण-दक्षिण-पूर्व, आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम से 200 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण-पूर्व और विशाखापट्टनम से 290 किलोमीटर पूर्व में स्थित है।

अगले 12 घंटों के दौरान इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए डीप डिप्रेशन में बदलने की प्रबल संभावना है। इसके बाद भी यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे

बढ़ता रहेगा और 23 सितंबर की रात या 24 सितंबर की सुबह के बीच विशाखापट्टनम और गोपालपुर के बीच उत्तर आंध्र प्रदेश-दक्षिण ओडिशा तट को पार करने की संभावना है। इसके प्रभाव से आज से ही राज्य में बारिश शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने 23 और 24 सितंबर को दक्षिण ओडिशा में अत्यंत भारी बारिश की संभावना जताई है। मंगलवार को 11 जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इनमें गजपति, गंजािम, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, कटक, जगतसिंहपुर, केंद्रापड़ा, जाजपुर, भद्रक और बालेश्वर जिले शामिल हैं। इसी तरह 16 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार से बारिश की मात्रा और बढ़ने की संभावना है। विशेष रूप से कोरपुट, गंजािम और गजपति जिलों में अत्यंत भारी

## झारखंड के पलामू से 48 लाख रुपये मूल्य का मादक पदार्थ अफीम जप्त

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची पुलिस को नशे के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार के दौरान बड़ी सफलता मिली है. पलामू पुलिस ने 9.660 किलो ग्राम अफीम जब्त किया है. इस दौरान पलामू पुलिस ने दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. जब्त अफीम की कीमत लगभग 48 लाख रुपये है. गिरफ्तार तस्करों में एक बिहार का रहने वाला है जबकि एक पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है. रांची, पलामू एसपी कपिल चौधरी को सूचना मिली थी कि बिहार का एक व्यक्ति

पलामू के छतरपुर थाना क्षेत्र में अफीम की खरीद बिक्री करने वाला है. इसी सूचना के आलोक में छतरपुर के एसडीपीओ प्रशांत कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और छापेमारी शुरू की गई. छतरपुर थाना क्षेत्र के करमा चेराई के पथलगड़ा के पास पुलिस छापेमारी कर रही थी, इसी क्रम में एक बाइक मौके पर पहुंचा और पुलिस को देखकर भागने लगा. पुलिस ने पीछा करके बाइक सवार को पकड़ा. बाइक सवार रंजन रजक के पास से पुलिस ने 2.660 किलो अफीम को बरामद किया.

रंजन रजक की निशानदेही पर पुलिस ने छापेमारी करके दयानंद प्रसाद नामक व्यक्ति के घर से सात किलो अफीम को बरामद



## 80 करोड़ रुपये की गड़बड़ी का CJP ने लगाया आरोप, जांच की मांग; ओडिशा सरकार को घिरी

मनोरंजन शासमल, स्टेट हेड ओडिशा

भूबनेश्वर : ओडिशा की स्कूली पाठ्यपुस्तकों में गलतियों और उनकी छपाई व वितरण को लेकर जारी विवाद के बीच ककोरुच जनता पार्टी (CJP) ने राज्य सरकार को निशाने पर लिया है। पार्टी के सह-संयोजक एवं प्रवक्ता सौरभ दास भुवनेश्वर पहुंचे और पाठ्यपुस्तकों के मुद्दे पर चल रहे आंदोलन को समर्थन दिया। सौरभ दास के आरोप के अनुसार, स्कूली पाठ्यपुस्तकों की छपाई पर करीब 380 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं, जबकि किताबों में कई तरह की गलतियां सामने आई हैं। उन्होंने इन आरोपों की जांच कराने और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने की मांग की है। नवनिर्माण युवा छात्र संगठन (NYCS) की ओर से पाठ्यपुस्तकों की गलतियों और



जटणी, सालेपुर और निश्चितकोइली में करीब 45 हजार किताबें वितरित की गईं। इस दौरान सौरभ दास ने युवाओं की समस्याओं और बेरोजगारी का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि देश के विभिन्न हिस्सों में युवा रोजगार और सरकारी पदों को भरने के लिए सवाल उठा रहे हैं और इसे व्यापक 'Gen Z' आंदोलन का हिस्सा बताया। राहुल गांधी के 'छात्रों की गुंज' कार्यक्रम के मुद्दे पर भी

उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश की समस्याओं का समाधान केवल एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसके लिए युवाओं और विभिन्न सामाजिक समूहों की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है।